because today we are taking up the Private Members'. Business.

So far as the accident is concerned, I think that the Home Minister will convey this message to the Railway Minister. The Railway Minister is going to make a statement here. That is all.

Shrimati Sushma Swaraj to move the Resolution. Shrimati Sushma Swaraj.

SHRI JAGESH DESAI Maharashtra) : Sir, a point of order. The time which was lost...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH) : No, no. I have called Shrimati Sushma Swaraj.

SHRI JAGESH DESAI : I want that the time of the Private Members' Business should be extended by five minutes. It should be extended up to 5—05 p.m.

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN (Andhra Pradesh): Yes, yes. ...*(Interruptions)*

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदय, इनका कहना है कि जो 5 मिनट खराब हुए हैं, उनको बढ़ाकर 5 मिनट और किया जाए ।

RESOLUTION REGARDING CREATION OF TWO NEW STATES—UTTARAN-CHAL AND VANANCHAL OUT OF UTTAR PRADESH AND BIHAR RESPECTIVELY

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH) : Shrimati Sushma Swaraj is to move a Resolution regarding creation of two States -Uttarah-chal and Vananchal—in order to ensure balanced development of the States of Uttar Pradesh and Bihar respectively.

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करती हूं :

"उत्तर प्रदेश और बिहार का संतुलित विकास सुनिश्चित करने और बड़ी संख्या में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रबल जनमत को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि—

(क) उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों को मिला कर "उत्तरांचल" नामक एक पृथक राज्य को बनाया जाए, और

(ख) दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर—सन्थाल परगना क्षेत्र को मिलाकर "वनांचल" नामक एक पृथक राज्य बनाया जाए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, शायद मेरे इस सदन के साथी सदस्यों को इस बात पर आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने उत्तरांचल और वनांचल राज्यों से संबंधित यह प्रस्ताव सदन में क्यों प्रस्तुत किया जबकि मेरा संबंध न बिहार से है न उत्तर प्रदेश से है। लेकिन मैं अपने उन सदस्यों की जिज्ञासा शांत करते हुए यह बताना चाहूंगी कि शायद मैं सबसे उपयुक्त हूं यह प्रस्ताव करने के लिए । चूंकि मैंने एक बड़े राज्य का हिस्सा होते हुए उपेक्षा की पीड़ा भी भोगी है और एक छोटे से राज्य में विकास का सुख भी भोग रही हूं । मुझे मालूम है और याद आता है जिस समय 1966 से पहले हरियाणा पंजाब का हिस्सा था और संयुक्त पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ थी। उस समय जब हमारे बुजुर्ग कभी चंडीगढ़ चले जाते थे तो लोग नाक-भौं सिकोड़ कर यह कहते थे कि यह धोती-साफे वाले कहां से आ गये, यह तो बिल्कुल देहाती गंवार लगते हैं । मुझे मालूम है इस समय का हरियाणा उस समय हिन्दी रीजन कहलाया

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

जाता है और आज का पंजाब उस समय पंजाबी रीजन कहलाया था । राजस्व वसूल होता था इस हिन्दी क्षेत्र से और विकास पर खर्च होता था पंजाबी क्षेत्र पर । मुझे मालूम है एक तरफ से हम पर करों की मार पड़ती थी और दूसरी तरफ हम उपेक्षा की मार सहते थे ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : सुषमा जी, एक बात मैं आपको याद दिलाऊं कि मैं जहां तक समझ रहा हूं आज का यह जो रेजोलूशन है यह उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के बारे में है ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं उसी पर आ रही हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आप पंजाब और हरियाणा पर बोल रही है ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह उससे प्रासंगिक है।

श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : यह इसलिए जोर दे रही है क्योंकि यह उस दल से आती है जिस दल ने भाषा की रायशुमारी के लिए अपने लोगों को कहा था कि जब पटवारी पूछने के लिए आये कि क्या मातृभाषा है तो यह कहना कि मातृभाषा हिन्दी है । पटवारी पंजाबी में लिखता था कि उसकी भाषा क्या है । यह उसी पार्टी से बीलोंग करती है ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर प्रासंगिकता भी हम तय नहीं कर सकते तो मैं क्या करूं । मैं यह बता रहीं हूं कि आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तरांचल और वनांचल के बारे में क्या कह रही हूं उसको स्पष्ट करना चाहती हूं ।

श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवालिया : हमारे दिल में कोई जिज्ञासा नहीं है । आपके मेनिफेस्टो में यह लिखा है ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह की गैर प्रासंगिक बात अहलुवालिया जी सदन में क्यों कर रहे हैं । आप अपनी पार्टी से समय मांग लीजिए और इस पूरे प्रस्ताव पर बोल लीजिए ।

श्री सिकन्दर बख्त (मध्य प्रदेश) : आप इनकी सेहत के पीछे क्यों पड़े हैं ?

†شری سکندر بخت : آپ ان کی صحت کے پیچھے کیوں پڑے ہیں۔

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) अहलुवालिया जी हम इस पर बोलने वाले हैं आप अपनी बात कहिये ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं उत्तरांचल की भूमिका में यह बात कह रही हूं। जिस समय हरियाणा पृथक राज्य बन गया तो फिर वही हरियाणा विकास के प्रकाश से जगमगा उठा ।

हरियाणा ने भारत के नक्शे में एक अलग पहचान और अलग स्थान बना लिया । जहां एक भी नदी नहीं थी वहां अनेक नदियों का जाल बिछ गया । हरेक गांव सड़क से जुड़ गया । हर गांव में बिजली पहुंच गई । मैं यह इसलिए कहना चाहती हूं कि जब इस तरह की उपेक्षा की टीस के स्वर मुझे उत्तरप्रदेश के उपेक्षित इलाकों से सुनाई पड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है यह वही स्वर है जो हरियाणा में 66 से पहले उठा करता था । अगर मैंने यह बात कही है तो पता नहीं क्यों आप लोगों को अप्रासंगिक लगती है ।

मैं यह कह रही हूं कि उत्तर प्रदेश में जब यह मांग उठी तो मैंने इसका गहराई से अध्ययन किया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह मांग केवल तर्क पर ही नहीं बल्कि न्याय पर भी आधारित है । मुझे इस बात का संतोष है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेरे अपने दल की सरकार, उत्तर प्रदेश में शासन पर काबिज हुई तो उन्होंने इस न्यायोचित मांग को स्वीका-

† [ ], Transliteration in Arabic scrip

किया और उस इलाके के लोगों को केवल मौखिक सहानुभूति ही नहीं दी बल्कि बकायदा विधानसभा से प्रस्ताव पारित करवा करके केन्द्रीय सरकार के पास भेजा कि वह इन आठ जिलों को मिला करके एक उत्तरांचल राज्य स्थापित करे । आप जानते हैं कि सत्ता की लालसा मानव स्वभाव में बड़ी प्रबल होती है । जो शासकगण होते हैं वे भी अपने सत्ता क्षेत्र को कम नहीं करना चाहते हैं । शासकों के मन में यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपने सत्ता के साम्राज्य को और बढ़ायें, उसकी परिधि को और चौड़ा करें । लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाते हुए मेरी पार्टी के लोगों ने जो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे है उन्होंने चूंकि यह मांग न्याय पर आधारित है इसलिए अपनी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा न देकर कि उनका सत्ता साम्राज्य फैले, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार के पास भेजा । उस प्रस्ताव को मैं पढ़कर सदन में सुनाना चाहती हूं--

उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि "यह सदन केन्द्रीय सरकार से यह संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के नैनीताल, अल्मोड़ा, पिठौरागढ़, पौढ़ी गढ़वाल, चमोली, टेहरी, गढ़वाल उत्तर काशी और देहरादून जिलों को शामिल करके उत्तरांचल नाम से एक पर्वतीय राज्य की स्थापना करे ।"

मैं यह कहना चाहती हूं कि उत्तरांचल की मांग कोई नई नहीं है और उत्तरांचल का उल्लेख भी कोई नया नहीं है । आप तो पुराणों के ज्ञाता है । वेद-पुराण आप जानते हैं । हमारे यहां पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि इस पूरे इलाके को केदारखण्ड नाम से पुकारा जाता था । यह इसलिए है कि वहां की एक अलग सांस्कृतिक पहचान है, अलग सामाजिक पहचान है । यह कहना गलत है कि वहां के लोगों के माध्यम से यह मांग नहीं उठी है । मुझे याद है, 1975 में श्री मानवेन्द्र शाह एम.पी. की अध्यक्षता में एक स्टियरिंग कमेटी गठित की गई थी और उसको यह कहा गया था कि इस इलाके का अध्ययन करके यह बताये कि क्या दृष्टिकोण इस इलाके के बारे में होना चाहिए । वे मानवेन्द्र शाह जी अभी भी संसद सदस्य है । उन्होंने यह प्रस्ताव किया था कि एक सेपरेट हिल स्टेट, अलग पर्वतीय राज्य इस इलाके को मिलना चाहिए । यह प्रस्ताव तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सेवा में प्रस्तुत भी किया गया था । लेकिन आप जानते हैं, जैसा मैंने शुरु में कहा, सत्ता की लालसा बड़ी प्रबल होती है । अपने राज्य का मोह तो और भी प्रबल होता है । चूंकि पंडित जी स्वयं उत्तर प्रदेश से आते थे और कांग्रेस की सरकार वहां पर काबिज थी, इसलिए वह यू.पी. का विभाजन नहीं करना चाहते थे । इसलिए, इस मांग को दरकिनार कर दिया गया, इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया । उसके बाद इन्दिरा जी आई और राजीव गांधी जी आये । सब के सामने यह मांग रखी गई । लेकिन वही तर्क बार-बार पेश किया गया और वही तर्क वैध और प्रासांगिक माना गया । लेकिन मेरा कहना है कि राजनैतिक दृष्टि से आज सबसे उपयुक्त अवसर है जब इस न्यायोचित मांग को स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि प्रधान मंत्री की कुर्सी पर एक दक्षिण भारतीय विराजमान है और उत्तर प्रदेश के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो अपनी सत्ता का साम्राज्य चौड़ा करने के बजाय इस न्यायोचित मांग को स्वीकार करते हुए केवल मुंह जबानी बात नहीं कर रहा है, बल्कि लिख कर प्रस्ताव के माध्यम से सरकार के पास भेज रही है । आम तौर पर आप जानते हैं कि इस तरह की मांगों पर प्रान्तीय सरकारें आड़े आती है, व्यवधान डालती हैं, रुकावटें डालती हैं और चाहती है कि उनके राज्य का विभाजन न हो । लेकिन इस बार वहां पर एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जो प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार से आग्रह कर रही है,

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

अनुरोध कर रही है कि इन लोगों की मांग बड़ी न्यायोचित है, इसको मान लें । लेकिन दुख होता है यह बताते हुए कि जिस समय वह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास गया तो बजाय केन्द्रीय सरकार उस प्रस्ताव को मानती, उसके ऊपर अमल करती, केन्द्रीय सरकार ने वह प्रस्ताव कुछ प्रश्नों के साथ, कुछ जानकारियां लेने के बहाने से, वापस उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेज दिया है और जानकारी के रूप में क्या मांगा गया है? पहले यह पूछा गया कि आप बताइये कि क्या आधार है यह सिफारिश करने का यानी उत्तर प्रदेश की विधान सभा और उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस आधार पर यह सिफारिश की है । दूसरा यह पूछा गया कि इसमें आने वाले जिलों का क्षेत्रफल क्या है, वह इलाका कितना बड़ा है । सत्ताधारी बैंचों पर बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि बात सही है । अगर इस देश का केन्द्रीय सरकार का गृह मंत्रालय यह भी नहीं जानता कि इस मांग को उठाने का आधार क्या है तो यह उसकी अकर्मण्यता का प्रतीक है ।

क्या मैं यह कहूं कि केंद्र का गृह मंत्रालय केवल उन मांगों को सुनता है जो मांगे हिंसा के माध्यम से उठाई जाती है ? क्या मैं यह कहूं कि केंद्र का गृह मंत्रालय केवल उन मांगों को सुनता है जो सशस्त्र आंदोलन के बल पर उठाई जाती है ? क्या शांतिपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त की गई मांगें इस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में दर्ज नही होतीं ? पूछना चाहती हूं कि आज से पहले जो पर्वतीय राज्य बनाये गये हैं उनके बनाने का आधार क्या था ? क्या एकात्मिक आधार, आर्थिक आधार पर बनाये गये थे वे राज्य ? क्या उनकी वाइबलेटी जांच करके बनाये गये थे ? क्यों बनाये गये आज से पहले पर्वतीय राज्य । ..(**व्यवधान**)..राज्य पुर्नगठन के बाद..

श्री हरेन्द्र सिंह हंसपाल(पंजाब) : आधार बताने में क्या संकट है ? ..(**व्यवधान**) .....

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं यह नहीं कह रही हूं हंसपाल जी । मैं यह कह रही हूं कि इनको बनाने से पहले होम मिनिस्ट्री ने ..(**व्यवधान**)..बताने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है । मैं आपसे यह कह रही हूं कि 1957 से यह बात चल रही है । अगर पार्टी की आवाज लोगों की आवाज नहीं होती तो पिछला जो संसद का चुनाव हुआ उसमें वे लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताकर नहीं भेजते । कम से कम आपको इतनी बात तो मान लेनी चाहिये ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र): ये तो पहले भी आये थे गलती से ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर आप जन प्रतिनिधियों को गलती से चुना हुआ मानते हैं तो जनतंत्र के ऊपर आप लानत भेज रहे हैं और फिर हम यह भी कह सकते है कि जो आपके 425 जन-प्रतिनिधि संसद में चुनकर आये थे वे भी गलती से चुनकर आये थे । जब हम लोग चुनकर आते हैं, लाखो लाख लोग वोट करते हैं तो उसके ऊपर यह टिप्पणी करना कि आप लोग गलती से चुनकर आये हैं उचित नहीं । क्योंकि आपने प्रश्न किया कि यह इलाके की मांग नहीं है तब मैंने जवाब दिया । क्योंकि उस इलाके के लोगों ने वहां से 13 संसद सदस्यों को चुनकर भेजा है और वहां सरेआम भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में लिखा था और हर मंच से उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे लिये एक अलग पर्वतीय क्षेत्र की मांग करेंगे । यह बात उनके दिल की गहराइयों में उतर गयी अन्यथा वे भाजपा को अपना जनादेश न देते । किस तरह के आप सवालात कर रहे हैं यह मैं आपसे कह रही हूं ।

हंसपाल जी ने कहा कि आधार बताने में क्या दिक्कत है । बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है । यहां बतायेंगे आधार, सदन के अंदर बताऊंगी आधार यू.पी. गवर्नमेंट लिखकर भेजेगी आधार । लेकिन मेरा बुनियादी सवाल यह है और मैं मूल प्रश्न केंद्र के गृह मंत्रालय से यह पूछना चाहती हूं और जैसा कि मैंने कहा कि 1957

से यह मांग उठ रही है और जो स्टियरिंग कमेटी बनी थी राजा मानवेन्द्र शाह की सदारत में, तब बी.जे.पी. ने, भारतीय जनता पार्टी ने आकर नहीं कहा था । उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि इन इलाकों के लोगों की यह मांग है कि उनके लिये एक अलग पर्वतीय राज्य बना दिया जाए । मैं जिस प्वाइंट पर बोल रही हूं वह यह है कि आज से पहले जो ऐसे राज्य बने क्या उन राज्यों का आर्थिक आधार जांचा गया था ? क्या उनके क्षेत्रफल को आधार बनाया गया था ? क्या उनका एरिया देखकर आधार में बनाया गया था ? क्या उनकी वाइबिलिटीज की जांच की गयी थी ? वहां के लोगों की राजनैतिक साझेदारी हो केवल इस आकांक्षा की पूर्ति के लिये ये राज्य बनाये गये । लेकिन उत्तरांचल की मांग केवल इस बात पर नहीं है । उत्तरांचल की मांग तर्क और न्याय पर आधारित है । यह आधार क्या है ? हंसपाल जी सुनना चाहते हैं और मैं बताना चाहती हूं । आठ जिले जिन को लेकर उत्तरांचल की कल्पना की गयी है, वे आठों जिले सबसे ज्यादा अविकसित और पिछड़े हुए उत्तर प्रदेश के जिले हैं । इनमें से 6 जिले जीरो इंडस्ट्री जोन, जीरो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट हैं यह यू.पी. सरकार के रिकार्ड में लिखा जा चुका है । यह इसका पहला आधार है । दूसरा आधार यह है कि अगर योजना गत व्यय की आप तुलना करें, मैं और किसी से नहीं, हिमाचल प्रदेश जो एक छोटा सा राज्य है, उसके साथ अगर मैं तुलना करूं तो योजना गत व्यय जो हिमाचल प्रदेश और इस उत्तरांचल प्रदेश का है वह मैं आपको बताना चाहती हूं । 1985-90 में हिमाचल प्रदेश के लिये 2135 करोड़ रुपया योजना गत व्यय रखा गया, प्लान आउट ले और यह जो उत्तरांचल का इलाका है इसके लिये 1406 करोड़ रुपया रखा गया । अभी 1990-91 की भी मैं बात बताती हूं । 1990-91 में प्लान आउट-ले हिमाचल प्रदेश का 620 करोड़ रुपये का है जब कि इस उत्तरांचल का 310 करोड़ रुपया है । अगर आप क्षेत्रफल के बारे में जानना चाहें तो मैं बताना चाहती हूं कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल इन आठ जिलों के क्षेत्रफल के आधे से कम है । क्योंकि हिमाचल प्रदेश को सम्पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है इसलिये उनको विकास के लिये पूरा खर्चा मिलता है और इनको सम्पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है और ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिये इनका योजना गत व्यय कम है । तीसरा आधार यह है कि ये जितने जिले हैं इनका सांस्कृतिक पंचाग, इनकी जलवायु, इनकी टोपोग्राफी, इनका अपना भौगोलिक स्तर, इनका आर्थिक आयाम जो है, वह सब मैदानों से भिन्न है । यू.पी. के मैदानों की समस्यायें इन इलाके के समस्याओं से मेल नहीं खातीं । इस इलाके की जो समस्या है उसमें बहुत फर्क है । यह प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का ऐसा इलाका है जहां कोई भी अफसर काम करने के लिये नहीं जाना चाहता । विकास करना तो बहुत दूर की बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से भी वे बिल्कुल उपेक्षित हैं । तो यही है आधार । इसके लिए वहां का इलाका यह मांग कर रहा है । चौथा आधार है जो कि बहुत वैध है कि इस देश में पर्वतीय कहलाने वाले तमाम इलाकों को अलग राज्य की संज्ञा दी जा चुकी है । सब को, सिवाय इन 8 जिलों के । मैं तथ्यों के आधार पर कह रही हूं । उत्तर में देख लीजिये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्य है और पूर्वोत्तर में तो आप जानते हैं कि वृहद आसाम को काट काट कर, खण्ड खण्ड कर के 7 पर्वतीय राज्य बनाए जा चुके हैं । आसाम बना, नागालैंड बना, मणिपुर बना, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम....

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : सब से अंत में आपने मिजोरम का नाम क्यों लिया है ?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अपनी बात बाद में कहनी चाहिये प्रारम्भ में कहने के बजाय 7 राज्य अलग बन गये इन सब पर्वतीय इलाकों को सम्पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है इन 8 जिलों को छोड़ कर जो कि बाकी हैं जिनको यह दर्जा

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

प्राप्त नहीं है। क्या यह उनके साथ अन्याय नहीं है, क्या यह पक्षतापूर्ण रवैया नहीं है ? क्या वह इस भेदभाव को चलने देंगे ? कारण क्या है ? कारण यह है कि इन लोगों ने अपनी मांग हमेशा शान्तिपूर्ण ढंग से उठाई है, कभी हिंसक कदम नहीं उठाया है। कभी भी शस्त्र नहीं उठाया है। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं, केन्द्रीय सरकार से यह आग्रह करना चाहती हूं कि यह आदत न डालें कि केन्द्रीय सरकार केवल हिंसा की जबान समझती है। यह आदत न डालें कि केन्द्रीय सरकार केवल सशस्त्र आन्दोलन के आगे झुकती है। एक तरफ तो झारखण्ड के लिए तीन तीन मुख्य मंत्रियों को बुला कर के केन्द्रीय सरकार बात करती है और दूसरी तरफ एक राज्य का मुख्य मंत्री विधान सभा से प्रस्ताव पारित करवा कर भेजता है कि उत्तरांचल बना दिया जाए, मुझे किसी तरह का कोई एतराज नहीं है, सदन को इस पर कोई एतराज नहीं है लेकिन इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है। यह बात कहां तक न्यायसंगत है ? इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि यह जो मांग है जिसकी शान्तिपूर्ण ढंग से अभिव्यक्ति की गई है इसी तरह से इस मांग को शान्तिपूर्ण ढंग से आप मान लें वरना कोई दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन अचरज नहीं होना चाहिये कि यह लोग भी हिंसक आन्दोलन पर उतारू हो जाएं। वह नौबत नहीं आने देनी चाहिए। उससे पहले ही केन्द्रीय सरकार चेतने का काम करे और शान्तिपूर्ण ढंग से उठाई गई बहुत ही न्यायोचित मांग को स्वीकार करने का काम करे। यह मेरे प्रस्ताव का भाग (क) है। अब मैं प्रस्ताव के भाग (ख) पर आती हूं।..

श्री हरबेन्द्र सिंह हंसपाल : उत्तेजनापूर्ण ढंग से (**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज : कम से कम उन बेचारों की आवाज तो इनको सुनाई नहीं देती है। यह कहते हैं कि लोग नहीं कहते हैं। मैं उग्रवादी के तौर पर नहीं कम कम से कम उत्तेजनापूर्ण ढंग से तो कह सकती हूं। उसका थोड़ा बहुत असर होगा वरना इनके कान पर जूं नहीं रेंगती है।

श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवालिया : आपकी उत्तेजना से हमें डर लगता है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : पहले आप उत्तेजना दिलाते हैं वरना मैं इतने शान्तिपूर्ण ढंग से बात कह रही थी (**व्यवधान**) लेकिन अहलुवालिया जी तो उत्तेजना फैलाने के लिए प्रसिद्ध हैं (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : सुषमा जी, आपके नाम का सम्बोधन सुषमा है। उसके बाद न तो उत्तेजना और न आतंक, आपकी आवाज में इसकी झलक आ ही नहीं सकती है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं तो आतंक फैला ही नहीं सकती, आपको मालूम है। लेकिन मैं आप से निवेदन करना चाहूंगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आपके इस प्रस्ताव पर कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दो घंटे का समय इसके लिए निर्धारित है, इसलिए आप जल्दी अपनी बात समाप्त करेंगी तो अधिक से अधिक लोग अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं अधिक समय नहीं ले रही हूं। उत्तरांचल वाली बात में एक भी बात गैर प्रासंगिक या गैर जरूरी मैंने नहीं कही है। जितनी बात आवश्यक थी, वह मैंने कही है। मैं वनांचल पर भी अपनी बात रखना चाहूंगी। मैं चाहूंगी सदन के लोग इस पर अपने विचार व्यक्त करें और उसके बाद केन्द्रीय सरकार को भी अपना मंतव्य जरूर प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं हो कि केवल प्रस्ताव पर चर्चा करवाते चले जाएं। आम तौर पर केन्द्रीय सरकार की यह आदत भी है कि रेजोल्यूशन आया है, टाक आऊट करा दो। इसलिए आप केवल टाक-आऊट मत करवाइये। सरकार अपना एक निश्चित मत ले कर सदन में आए और बताए कि आपकी क्या मंशा है। वनांचल छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिला कर बनाने की बात है। आप बिहार से आते हैं इसलिए आप तो वनांचल के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं।

यह भी आपको मालूम है कि छोटा नागपुर और संथाल परगना किस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से उपेक्षित रहा है। आप जानते है कि झारखण्ड के विषय में एक समिति 1989 में गठित की गई थी। उसने स्वीकार किया था कि बिहार के इन दोनों इलाकों की बहुत उपेक्षा की गई है। उन्होंने यह कहा था कि इस उपेक्षा से केवल उनके विकास का मार्ग ही अवरुद्ध नहीं हुआ बल्कि शोषण भी हुआ।

उस शोषण के कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहती हूं क्योंकि ये तथ्य आंकड़ों के साथ हैं इसलिए मैं आपकी अनुमति से इनको पढ़ना चाहूंगी। उपसभाध्यक्ष जी, आर्थिक शोषण के कुछ तथ्य हैं कि बिहार प्रांत के कुल राजस्व का 70 फीसदी भाग वनांचल से प्राप्त होता है। परंतु ठीक इसके विपरीत 1946 से आज तक इस क्षेत्र के विकास पर 20 प्रतिशत से ज्यादा खर्च नहीं किया गया ...

श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवालिया : वनांचल प्रदेश के जिस भाग से 70 फीसदी राजस्व आता है वह क्या जंगल बेचकर आता है या लोहा बेचकर आता है ... (**व्यवधान**) लोहा बेच कर आता है। यह जरा बता दीजिए। आपने कहा कि उद्योग नहीं हैं तो यह जरा बता दीजिएगा ... (**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज : उद्योग नहीं है, यह कहां बोला। यह उत्तरांचल में बोला है ... (**व्यवधान**) अभी तो वनांचल शुरू किया है मैंने .. (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : बीच में टोकाटोकी न करें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अभी तक जो आंकड़े मैंने रखे वे उत्तरांचल के बारे में थे, जहां मैंने 6 डिस्ट्रिक्ट्स को जीरो इंडस्ट्री जोन कहा है। इसमें तो मैं बताऊंगी कि कितने बड़े बड़े उद्योग है। आप क्या समझते है कि मैं बिना तथ्यों के बिना जानकारी के बोल रही हूं। आप क्यों यह बोल रहे है ... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : माननीय सदस्या, आप उनकी बात पर न जाइये।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह पहला मैंने एक आर्थिक शोषण का तथ्य आपके सामने रखा कि 70 फीसदी राजस्व आता है और 20 फीसदी राजस्व खर्च होता है इस इलाके के विकास पर। दूसरा, सम्पूर्ण बिहार में जहां कृषि उत्पादन है 165.92 करोड़ वहीं वनांचल क्षेत्र में हुआ 172.49 करोड़ अर्थात् 6 प्रतिशत कृषि उत्पादन इस क्षेत्र में हुआ। नम्बर तीन, सम्पूर्ण बिहार की 23.7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है जबकि वनांचल की मात्र 1.94 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है जो कि कुल सिंचित भूमि का केवल 12.1 फीसदी होता है। जहां सम्पूर्ण बिहार का सिंचित क्षेत्र 11.19 लाख हेक्टेयर है वहीं वनांचल क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र मात्र 1.06 लाख हेक्टेयर है जो कि कुल सिंचित क्षेत्र का मात्र 9.4 फीसदी होता है। पूरे बिहार में जहां 67,463 गांव हैं वहां वनांचल क्षेत्र में 28,893 गांव हैं। लेकिन इन गांवों में जब विद्युतीकरण योजना की गयी तो सम्पूर्ण बिहार के 43,130 गांवों में विद्युतीकरण हो चुका है जबकि वनांचल के मात्र 12,160 गांवों में विद्युतीकरण योजना गयी है जबकि वास्तविकता यह है कि विद्युत पैदा वहां ज्यादा होती है। सम्पूर्ण बिहार राज्य में विभिन्न श्रेणियों के बैंकों की संख्या 4,364 है, वनांचल क्षेत्र में मात्र 1304 बैंक है, केवल 28 प्रतिशत। इसके अलावा एक और भी बात इसमें मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कुछ लोग कहते हैं कि यह कानूनन दृष्टि से अवैधानिक नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि छोटा नागपुर और संथाल परगना को कानून की दृष्टि से भी एक अलग स्टेटस दिया जाता रहा है। यहां अभी भी छोटा नागपुर टेनेन्सी एक्ट, 1908 और

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

संथाल परगना टेनेन्सी एक्ट, 1949 तथा शिड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 लागू है। पूर्व में जो भी कानून बनते थे उनमें यह विशिष्ट रूप से इंगित होता था कि ये कानून छोटा नागपुर और संथाल परगना पर भी लागू होंगे। इसलिए वैधानिक और पारम्परिक दृष्टि से पृथक वनांचल राज्य के बनाए जाने में कोई व्यवधान तकनीकी दृष्टि से नहीं है सिर्फ आवश्यकता है केन्द्रीय सरकार के दृढ़ संकल्प की। यह जो टेनेन्सी एक्ट्स का मैंने जिक्र किया, ये किस लिए है। यह एक्ट यह है कि जिसके तहत आदिवासियों की ली गयी भूमि वापस की जा सकती है यानी आदिवासियों की जो भूमि से ली जाती है उसकी वापसी का प्रावधान इन एक्ट्स में है। लेकिन आप देखिए स्थिति कितनी खराब है, दयनीय है। बिहार सरकार के प्रतिवेदन के अनुसार अप्रैल 1989 तक इस भूमि की वापसी से संबंधित 90,847 मामले न्यायालय में दायर किये गये। इनमें से 44,775 स्वीकृत हुए और 34,477 रद्द कर दिये गये तथा 13,595 लम्बित है। लेकिन आप यह देखिए कि मात्र 2,994 मामलों में आदिवासियों के पक्ष में निर्णय हुए। यानी 90 हजार मामले जो दायर किये गये उनमें से केवल मात्र 3 हजार मामले ऐसे है जिनमें आदिवासियों के पक्ष में निर्णय हुआ। अब यह तो शोषण की बात थी, सामाजिक शोषण की, आप चूंकि समय की बात कर रहे हैं वरना मैं थोड़ा सा और पढ़ लेती। अगर आप मुझे इजाजत दें तो कुछ थोड़े से और ऐसे तथ्य हैं।

नियोजन के मामले में यहां के आदिवासियों और मूल गैरआदिवासियों की उपेक्षा चरम सीमा पर है। आप उद्योगों की बात सुन लें कि यहां कौन कौन से उद्योग हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि यहां उद्योग नहीं है। यहां एच०ई०सी०, बोकारो स्टील प्लांट, मैकन, कोल इंडिया आदि सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े प्रतिष्ठान है, इस वनांचल क्षेत्र में।

परंतु इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में स्थानीय और आदिवासी कर्मचारियों की संख्या नगण्य है। बिहार सरकार के एक आदेश के अनुसार वर्ग तीन और चार में स्थानीय उम्मीदवारों को एक विशेष अनुपात में नियुक्ति का प्रावधान है। लेकिन आज तक कभी भी इस प्रावधान का क्रियान्वयन नहीं किया गया है।

3.00 P.M.

यह हालत है कि इतने ज्यादा औद्योगिक प्रतिष्ठान है, लेकिन वहां के मूल निवासियों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यहां के लोगों को विस्थापित करके अनेक औद्योगिक, सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, परंतु अब भी हजारों विस्थापितों के मुआवजे के भुगतान नियोजन और पुनर्वास की समस्यायें ज्यों की त्यों है।

बिहार सरकार की राजस्व प्राप्ति के सब से बड़े स्रोत खान, वन, और वाणिज्य--यह जो पूछ रहे थे ना कि कहां जाता है--खान, वन और वाणिज्य कर है और पूरे बिहार की तुलना में इन मदों में 90 प्रतिशत प्राप्ति क्षेत्र वनांचल से आती है, परंतु इनसे संबद्ध व्यय इस क्षेत्र के विकास में कभी भी नहीं हो पाया।

कहने का मतलब यह है कि किसी भी एक क्षेत्र की समीक्षा कर लो, स्थिति इतनी दयनीय, इतनी भयावह दिखाई देगी कि आपको लगेगा कि यह क्षेत्र एक निर्मम उपेक्षा का शिकार हुआ है।

अभी इसके बारे में कई चीजें सुझाई गई। एक बार यह सुझाया गया कि उड़ीसा के कुछ प्रांत, बिहार के कुछ प्रांत, मध्य प्रदेश के कुछ प्रांत, वैस्ट बंगाल के कुल जिले, प्रांत नहीं, जिले मिला करके अलग से झारखंड राज्य बना दिया जाए। लेकिन यह कल्पना बहुत व्यवहारिक नहीं है। इसलिए इस कल्पना को हम मानते नहीं है। हमारा बार-बार यह कहना है कि अगर आप बिहार के इस क्षेत्र की उपेक्षा को समाप्त करना चाहते हैं, शोषण को समाप्त करना चाहते हैं, तो छोटा नागपुर और संथाल परगना के अपने जो

सोलह जिले है, उनको मिला करके पृथक वनांचल की स्थापना की जाए और यह जो बाकी छोटे-मोटे उपाय लीपा-पोती करने के हैं, इससे मामला सुलझेगा नहीं ।

पहले भी एक बार कहा था जब विकास प्राधिकरण की बात आई थी--एक बार मिनी सचिवालय रांची में स्थापित करने की बात आई थी, वह सब हुआ । मिनी-सचिवालय रांची में स्थापित भी हुआ, लेकिन उसका कोई लाभ वहां के मूल लोगो को नहीं मिल सका है ।

इसलिए यह जो झारखंड की भी कल्पना है, जिसमें इतने सारे राज्यों के, अब वैस्ट बंगाल के कुछ जिले ले लो, मध्य प्रदेश के कुछ जिले ले लो, उड़ीसा के कुछ जिले ले लो, इनको मिलाकर के यह जो चीजे बनने वाली है, वह बहुत अव्यवहारिक है । यह बन नहीं सकता है और यह वहां के लोगों को अस्वीकार्य है। यह ज्यादा बड़ा तथ्य है, जो मैं दर्ज कराना चाहती हूं । वहां के इलाके के लोग इसको नहीं स्वीकारते, लेकिन जब वनांचल की बात उनसे की जाती है, तो वह इस बात को स्वीकारते हैं।

तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि यह जो छोटा नागपुर और संथाल परगना को इकट्ठा करके वनांचल राज्य की स्थापना की कल्पना हम लोगों ने दी है और आज इस प्रस्ताव के माध्यम से मैंने सदन में प्रस्तुत की है, सदन के लोग बिना राजनीतिक, दलगत स्वार्थ के, थोड़ा ऊपर उठ कर, केवल देश के हित में अगर हम सोचेंगे, बंधे रह कर जो पार्टी व्हिप, पार्टी निर्देश जारी किये गये हैं, केवल उससे बंधे हुए न रह कर के बोलेंगे, बल्कि पूरा दृष्टिकोण, समग्र देश के हित को देखने की कोशिश करेंगे, तो वह पायेंगे कि इस बात में सदाकत है, मेरे इस तर्क में वजन है और इस मामें की न्यायोचित और तर्कसंगत कहा जा सकता है ।

इसी के साथ मैं सदन के सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगी कि उत्तरांचल और वनांचल के उन राज्यों की मांग को स्वीकारते हुए, इस प्रस्ताव को पारित करने का समर्थन करेंगे । बहुत-बहुत धन्यावाद ।

The question was proposed

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सुषमा स्वराज जी ने जो प्रस्तावित किया है कि उत्तरांचल और वनांचल दो नये राज्य बना दिये जायें और उसके संबंध में जो उन्होंने आंकड़े दिये, वह बिल्कुल तथ्य से परे और महज एक शब्द कह कर कि बैकवर्ड है, यह कह कर एक ऐसा आर्गुमेंट, दलील पेश की जो सच्चाई के बिल्कुल परे है। यह जो उत्तरांचल स्टेट बनाने का प्रस्ताव है, यह बी०जे०पी० के इलैक्शन के मेनिफेस्टो का पार्ट है और स्लोगन था कि राम के साथ जो उत्तरांचल, पहाड़ी जिले है, उनसे वोट लेने का एक यह भी नारा था कि राम के साथ हमको राज्य भी बनाना है, यह आठ जिलों का हमको नया राज्य भी हमको बनाना है, यह उसके इलेक्शन मेनिफेस्टो में लिखा भी था और उसका बड़े पैमाने पर नारा लगाया गया ।

तो, मान्यवर, अभी हमारी सदस्या सदन म कह रही थीं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ही प्रस्ताव पास करके केन्द्र को भेज दिया और केन्द्र से कुछ सूचनायें मांगी हैं--आपके अधकचरे प्रस्ताव को केन्द्र बगैर सोचे-समझे पास कर दे, इसका इतिहास आपको मालूम नहीं है । इतिहास कितना बड़ा साक्षी है, टूट-फूट देश कितने टुकड़ों में बंटा रहा है, कितने बड़े खून-खराबे हुए हैं ।

विदेशी ताकतों के सामने मुल्क कितनी बार हारा है । विदेशी किस लिए यहां पर आए यह भी आपको मालूम है । यह तथ्य इसको आप बिल्कुल भुला रहे है । इसलिए हमारे इस संविधान में यह भी रखा गया था कि हमारा जो संविधान है वह फैडरल- यूनिटरी दोनों सिस्टम का होना चाहिए । मैं जैसा कि कह रहा था कि-यह बी०जे० पी० का इलैक्शन जीतने का एक ट्रिक था । अगर यह सिंसीयर थे उत्तर प्रदेश की सरकार कि हमारा उत्तरांचल यह स्टेट बने तो प्रस्ताव तो पास कर दिया दो-चार लाईन दे करके क्यों नहीं वहां पर यह

[चौधरी हरि सिंह]

करोड़ों रुपये का, अरबों रुपये का प्रावधान किया कि राज्य बनाने के लिए इतना रुपया हम स्वीकार करते हैं इतना करोड़ों रुपया यहां पर अदालत बनेगी, वहां पर कोर्ट बनेगी, वहां पर दफ्तर बनेंगे वहां पर यह अधिकारी नियुक्त किए जायेंगे, क्यों नहीं अरबों, खरबों रुपयों का, जब कोई नया राज्य बनता है श्रीमन् तो अरबों, खरबों का जो खर्च आता है, प्रस्ताव तो पास कर दिया कि केन्द्र पर जिम्मेदारी चली जाए और हमारी जिम्मेदारी खत्म। वोट पाए इन्होंने और बदनाम केन्द्र सरकार को कर रहे है कि यह राज्य केन्द्र सरकार से नहीं बनाया। मान्यवर, यह जो बी०जे०पी० के ट्रिक हैं यह तो अपने जाल में खुद फंस गए हैं, मैं पूछना चाहता हूं प्रस्ताव तो राज्य बनाने का इन्होंने पास कर दिया लेकिन कितने रुपये का प्रावधान किया, बताइयें ? नया राज्य बनाने के लिए कितना रुपया आप लगायेंगे ? उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी बजट पास किया और उसमें कितने रुपए का प्रावधान किया। सिर्फ प्रस्ताव पास करना तो बड़ा आसान है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के जो लोग हैं ये आठों जिलों के लोग अब समझ गए है कि बी०जे०पी० के कि यह तो वोट लेने के लिए आए थे। मैं कहना चाहता हूं कि कि आप कह रही थीं कि उत्तर प्रदेश बड़ा बैकवर्ड है। उत्तर प्रदेश के इस डिपो को डिवैलप करने के लिए कांग्रेस सरकार की जब भी वजारत हुई उत्तर प्रदेश में माननीय तिवारी जी के मुख्य मंत्री के काल में, वीर बहादुर जी के मुख्य मंत्री के काल में वहां पर डिवैलपमंट हुआ। जिसके डिस्पोजल पर एक नहीं, दो नहीं, अरबों रुपया उसके डिवैलपमेंट के लिए था और मुझको खुशी है कि कांग्रेस सरकार के वक्त में 8 जिलों के अन्दर में जो उन्नति हुई है आप उसे जाकर देखें। आज गांव-गांव के अन्दर बिजली पहुंच गई है, खाद पहुंचाने के लिए नए-नए गोदाम वहां पर बनाएं गये हैं, वहां पर इंप्रूवड खेती की गई है, जो वीकर सैक्शन के लोग हैं उनको धन राशियां दे करके नए-नए मकान बना करके उनका उत्थान किया गया है। जो कहते हैं कि उन जिलों में तरक्की नहीं हुई है उनको सच्चाई नहीं मालूम पड़ती है। क्या उन जिलों में उनको घूमने का या जाने का मौका नहीं मिला ? यह जो कहते है कि आप जिस तरह की इंडस्ट्रीज कायम की जाती है पर्वतों में उस तरह की इंडस्ट्रीज का जाल बिछाया जा रहा है। आप नैनी ताल की तरफ चले जाइये, आप काशीपुर की तरफ चले जाइये और रामपुर की तरफ चले जाइये रामनगर, यह सब आप देहरादून से ऊपर तक चले जाइये आज तो पहाड़ और वन बेस्ड हमारी इंडस्ट्रीज है उनका जाल बिछा हुआ है। बड़ी तेजी से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। यह जो कहते है कि उनका कोई विकास नहीं हुआ तो उनको सच्चाई मालूम ही नहीं है। मुझे यह फखर है कि पहाड़ के लोग, इनकी बी०जे०पी० की जो चाल थी उसको समझ गए हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वी० पी० सिंह की सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी उनकी साझीदार और सहयोगी भी थी। यह प्रस्ताव तब भी था क्यों नहीं उत्तर प्रदेश से पास करके केन्द्र सरकार ने यहां पर वी० पी० सिंह साहब ने क्यों नहीं स्टेट बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया, क्यों नहीं नई स्टेट बना दी ? इसलिए नहीं बनाई कि सच्चाई इसमें है नहीं। यह इलैक्शन जीतने का एक मुद्दा और एक स्टंट था और अब उसका भेद खुल गया। अब इलैक्शन के लिए अगला मुद्दा सोचेंगे लेकिन यहां के मासेज समझ गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि छोटे राज्य कभी भी वायबल नहीं रहते हैं। अभी वह कह रहीं थी कि हरियाणा स्टेट से आई हूं, चली गई है। हरियाणा के जिलों के अगर जिक्र करें तो उपसभाध्यक्ष जी, आपको ताज्जुब होगा कि वहां के जिले का आफिसर ज्यादा है और वहां पापुलेशन कम है। इतने आफिसर हैं कि उनकी तनख्वाह में ही सारे रेवेन्यू चला जाता है और एक-एक जिले की जो आबादी है श्रीमन, आपके जिले की एक तहसील से भी कम आबादी उनकी है। छोटे राज्य का विकास कभी नहीं हो पाता है। यह तो एक बर्डनसम हो जाते है केन्द्र के ऊपर, उनको हर चीज बाहर से देंगे।

उनकी इच्छा रहती है कि केन्द्र से हमको रुपया मिले। मान्यवर, मैं कह रहा था कि छोटे स्टेट कभी फायदे में नहीं रहे। हरियाणा खुद एक वर्डनसम है। हम हरियाणा की मिसाल देते हैं। अभी हरियाणा इत्तफाक से यहां दिल्ली के करीब है। इसके सौ मील के दरम्यान में, सारे जो परिधि के अन्दर सब बड़े-बड़े जो उद्योगपति हैं, कारखाने वाले हैं, बड़े-बड़े सरमायेदार हैं, बड़े कल कारखाने वाले हैं, नए मैनुफैक्चरर्ज हैं, वे सब दिल्ली में अपने हैडक्वार्टर बनाने की गरज से वहां पर वे इंडस्ट्रीज बना रहे हैं। लिहाजा वहां पर इंडस्ट्रीज बनती चली जा रही हैं। उसके बावजूद भी अगर गौर से देखें तो जो हरियाणा के बहुत सारे हिस्से जो हैं वे इतने डिवैलप नहीं हो पाए जितना कि होने चाहिए थे। और दिल्ली के करीब के हिस्से हैं। वह इसलिए कि सारी इंडस्ट्रीज, कारखाने बड़े-बड़े वहां पर दिल्ली के करीब हो जाने से लग गए हैं।

तो मालूम पड़ता है कि हरियाणा बड़ी चोटी पर है। बड़ी खुशी की बात है, होना भी चाहिए। लेकिन आप हरियाणा की तुलना अपने इस वनांचल से कर देंगे कि वह उतनी तरक्की पर पहुंचेगा, बड़े-बड़े कारखाने वहां पहाड़ों पर लग जाएंगे, तो यह नामुमकिन है क्योंकि वहां का मैनुफेक्चरिंग, वहां का प्रोडक्शन जो होगा उसको दूसरी जगह भेजेंगे तो उस पर किराया ही कितना हो जाता है कि वह प्रोडक्शन, मैनुफेक्चरिंग महंगा हो जाता है और उसको खरीदने वाले नहीं होंगे इसलिए यह जो कहते हैं कि पहाड़ों में इंडस्ट्रीज लगाइए, कारखाने लगाइए और यह जो कहा गया वहां के लोगों को काम-धंधे नहीं है, अगर आप सारे हिंदुस्तान का सर्वे करें तो मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ों के लोग आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, हमारे शासन के अंदर, विकास के अंदर जितनी बड़ी से बड़ी नौकरियां हैं, कल-कारखानें हैं, उनमें काम करने वाले, मैकेनिक, इंजीनियर, प्रोफेसर, डाक्टर, यह सब पहाड़ों से आए हुए लोग हैं, जो सारे देश में फैले हुए हैं और उनकी सेवाएं और उनके कार्य प्रशंसनीय हैं। जो लोग यह कहते हैं कि उनको काम-धंधा नहीं है तो यह बात गलत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो अभी सुषमा स्वराज जी कह रही थीं कि साहब, पहाड़ों में कोई नौकरी नहीं, मैं तो यू० पी० में मिनिस्टर रहा हूं, मेरे पास दो-तीन महकमे रहे—हाइडल का रहा, पुलिस का रहा, मैंने देखा है, खुद पहाड़ी लोग पहाड़ों में नहीं रहना चाहते, वहां पर नौकरी नहीं करना चाहते, वहां पर पोस्टिंग अपनी नहीं रखवाना चाहते और यही कारण है कि हैल्थ डिपार्टमेंट के हास्पीटल के हास्पीटल, डिसपेंसरी की डिसपेंसरी खाली पड़ी रहती थीं, वहां के लोकल लोग भी वहां रहना नहीं चाहते थे। पहाड़ों में पहाड़ के जो स्थानीय लोग हैं वह भी नहीं रहना चाहते। आज उन पर भी नई सभ्यता की झलक शहरों की चमक दमक, एशो-आराम की जिंदगी और यह रेलवे ट्रांसपोर्ट, इन सारी चीजों की अट्रेक्शन है। अपनी जिंदगी में जो मैंने देखा, वह आपके सामने रख दिया है।

तो यह छोटे-छोटे राज्य बनाकर देश को विखंडित मत करिए। यह भावना शुरु मत करिए अगर आपने एक स्टेट का खोला तो दसों स्टेट के बारे में बात आएगी, हम पढ़ते रहते हैं। देखिए, सवाल एक स्टेट का नहीं है। अगर पहाड़ों में आठ जिलों को मिलाकर वनांचल बना दीजिए तो सारे देश के अंदर एक तांता लग जाएगा और सारा देश एक खण्डित होने की स्थिति में आ जाएगा। आपस में झगड़े, भाषा के नाम पर झगड़े, प्रोविन्स के नाम पर झगड़े, छोटा स्टेट बनाओ तो बात आएगी यह हिस्सा होना चाहिए, वह होना चाहिए, इस तरह सारे देश में एक नया माहौल पैदा हो जाएगा और देश की तरक्की रुक जाएगी। सारा देश टूट जाएगा, खण्डित हो जाएगा। डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने अपनी जो किताब लिखी थी—डिवाइडेड इंडिया, उसमें भी लिखा है। मिस्टर पाणिकर स्टेट रिआर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन थे, उनका भी कहना था कि हिंदुस्तान को इससे ज्यादा टुकड़ों में बांटना जो है वह कभी

[चौधरी हरि सिंह]

भी उचित नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के जिस पहाड़ी हिस्से का जिक्र कर रहे हैं, सारे उत्तर प्रदेश के लोग फक्र करते हैं, यह तो हमारे शिखर जैसा है हमारी शान है। इस हिस्से को अलग करके एक अलग राज्य बन जाएगा और वह तरक्की करेगा यह असंभव है। यह जैसा मैंने आपके सामने रखा इस बात का इतिहास साक्षी रहा है।

महोदय, यह जो प्रस्ताव है, यह देश को फिर से एक नए जाल में फसाना है। हम लोग जानते हैं, यह किसलिए हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हो गया है। अगली बार के चुनाव में, मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में शासन में आने वाली नहीं है और इनको अपनी इज्जत बचानी है। लिहाजा, यह कहकर अपना पिंड छिपाना छुड़ाना चाहते हैं। ... **(समय की घंटी)**

महोदय, बिहार का कहना चाहता था, लेकिन मैं समय की कोताही नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास हमारा यह कहता है और हमारा मौजूदा तर्जुबा यह है कि अगर नए राज्यों का सिलसिला शुरु कर दिया तो सारा देश टूट जाएगा, जिसको हमारे महापुरुषों ने हमारे राजनेताओं ने और हमारे फ्रीडम-फाइटरस ने जोड़ा है, जिसे सरदार पटेल ने बड़ी सूझबूझ से जोड़ा है। अगर कहीं यह खोल दिया सिलसिला तो फिर कहीं रुकने वाला नहीं है।

इन्हीं अलफाज के साथ यह जो प्रस्ताव आया है, यह छिपे में बड़ा खतरनाक है और इसको सपोर्ट करना कोई अकलमंदी नहीं होगी। धन्यवाद।

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): महोदय, बहन सुषमा स्वराज जी का प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों को मिला कर "उत्तरांचल" नामक एक पृथक राज्य को बनाया जाए और दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर–संथाल परगना क्षेत्र को मिला कर "वनांचल" नामक एक पृथक राज्य बनाया जाए, के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं।

महोदय, पहले मैं इनका जो पहला बिन्दु है, उस पर कुछ कहना चाहूंगी। सच पूछिए तो जब राज्यों का पुनः निर्माण हो रहा था उस समय जो हमारे देश के सबसे बड़े प्रान्त हैं, कई प्रान्त— मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि, इनका पुनः निर्माण होना चाहिए था और सच पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश को तीन हिस्सों में बंटा होना चाहिए-एक हिस्सा तो उत्तराखंड हो और उत्तराखंड में आठ जिले हैं, क्योंकि मैं तो यह चाहूंगी कि 8 नहीं, इसमें कम से कम 11 जिले होने चाहिए। एक उत्तरकाशी, दूसरा चमोली, तीसरा टिहरी गढ़वाल, चौथा देहरादून, पांचवा गढ़वाल, छठा पिथौरागढ़, सातवां अल्मोड़ा, आठवां नैनीताल नवां हरिद्वार, दसवां पीलीभीत और ग्यारहवां खेरी। इन 11 जिलों को एक उत्तराखंड प्रान्त बनाना चाहिए। दूसरे, पूर्वी उत्तर प्रदेश को अगर विकास की दृष्टि से भी देखा जाए तो यह बिहार से लगा हुआ है। मैं जानती हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान इलाका है, उसका विकास अच्छा नहीं है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली के साथ लगा हुआ इलाका है, कृषि भी उसकी अच्छी है और उद्योग भी अच्छे हैं। तो दोनों में कोई तालमेल नहीं है। ईमानदारी की बात अगर कही जाए तथा उत्तर प्रदेश की सरकार अगर ईमानदारी की बात कहना चाहती है तो उसको यह प्रस्ताव देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को तीन हिस्सों में बांट देना चाहिए न कि केवल एक उत्तराखंड को बनाया जाए। मैं केवल इतना ही उत्तराखंड के बारे में कहना चाहूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अध्यक्ष महोदय घंटी बजाएं और इसके बाद भी मुझे कहना पड़े। इसमें एक बात और है कि उत्तराखंड की जो बात हमारी बहन ने कही है, इसमें अगर देखा जाए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास सबसे अधिक हुआ है और वहां कल-कारखाने भी ज्यादा हैं। उत्तरांचल या उत्तराखंड जिसको हम कहना चाहते हैं, उत्तरांचल नाम की तो कोई चीज ही नहीं, सच पूछिए तो हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में उत्तराखंड ही लिखा हुआ है–केदारखंड या उत्तराखंड।

तो उत्तराखंड अगर कहें तो उत्तरकाशी में अरबन पापुलेशन का रेश्यो क्या है—7.29, चमोली में 8.42, टिहरी-गढ़वाल में 5.73, देहरादून में 5.73, गढ़वाल में 12 प्रतिशत, पिथौरागढ़ में 7 प्रतिशत, अल्मोड़ा में 5 प्रतिशत, नैनीताल में 31 प्रतिशत, हरिद्वार में 31 प्रतिशत, पीलीभीत में 18 प्रतिशत, खेरी में 10 प्रतिशत। यानी शहरी आबादी वहां कम है। इस संदर्भ में महोदय, एक बात मैं आपको कहना चाहती हूं कि हमारी बहन ने अपना प्रस्ताव रखते हुए कहा कि उत्तराखंड इलाके में, यह इलाका पिछड़ा हुआ है, वहां कोई कल-कारखाने नहीं है, वहां कोई विकास का काम नहीं हुआ, मैं कहना चाहती हूं कि हरेक इलाके की अपनी-अपनी बनावट होती है। यह उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा है और हम जानते हैं कि आज के दिन जिस बात को लेकर के सारी दुनिया के लोग चिंतित हैं, वह है दुनिया की इकालोजी, दुनिया का इन्वायरमेंट। टिहरी-गढ़वाल इलाके में क्वेरीइंग का काम शुरू हुआ था, खादान का काम शुरू हुआ था, जंगल काटने का काम शुरू हुआ था, हमारे देश में बारिश का चरित्र बदल गया, लैंड स्लाइडिंग शुरू हो गई, एवलांचिज शुरू हो गए। हिमालय की इकॉलोजी को बर्बाद करना होगा, अगर वहां हैवी इंडस्ट्री लगाने का प्रस्ताव कोई देगा। हिमालय की इकॉलोजी को बर्बाद करना होगा, भारतवर्ष के इन्वायरमेंट और साथ-साथ हिमालय की छत्र छाया में जितने देश आते हैं, सारे इलाके के इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को दूषित करना होगा, परिवर्तित कर दिया जाएगा और भारतवर्ष मरु-भूमि हो जाएगा अगर हमने हिमालय की इकॉलोजी से खिलवाड़ किया तो। इस बात को हम जानते हैं और सारी दुनिया के लोग आज जानते हैं और बहुत चिंतित हैं इस बात को लेकर। कौन नहीं जानता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। इसी साल की बात देखिए। अभी 15 जून तक बारिश होनी चाहिए, लेकिन जो पर्यावरण संबंधी स्टडी करते हैं, उन्होंने कहा है कि इस साल बारिश देर से आएगी, बारिश कम होगी। बारिश देर से आए, बारिश कम हो तो उसका नतीजा क्या होगा? फसल की बर्बादी होगी, लोग भूखे मरेंगे। यह हो रहा है वन काटने से और पहाड़ी जंगल के इलाके में उसके पर्यावरण को बदल देने से। तो कतई इस काम को नहीं करना चाहिए। उस इलाके में कल-कारखाने लगाने हैं, छोटे-छोटे उद्योग धंधे जरूर लगाए जाएं, कृषि उद्योग लगाए जाएं, कुटीर उद्योग लगाए जाएं, लेकिन बड़े उद्योग—हैवी इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री तो कतई नहीं लगनी चाहिए। यह पूरे देश के लिए भयंकर बात हो जायेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज किसी की सरकार हो सकती है। वह सरकार होने से सारे देश के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते। हिमालय हमारा केवल प्रहरी ही नहीं है, हिमालय इस देश के पर्यावरण का संरक्षक भी है और उस पर्यावरण संरक्षण के साथ किसी को खिलवाड़ करने की हम अनुमति नहीं दे सकते। सरकार को उस दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। तो मैं इतनी बात कहकर अपने प्रांत बिहार के बारे में बात करना चाहती हूं। महोदय, आप हमारे प्रांत के हैं। जब आर्या लोग इस देश में आये तो इस देश के जो पुराने बाशिन्दे थे, वह जंगल-पहाड़ों में छिप गये और जिन लोगों को आज हम आदिवासी कहा करते हैं। सारे मध्य भारत में विन्ध्य पर्वत की गोद में यह लोग बसे हुए हैं। सारे मध्य भारत में, मध्य प्रदेश नहीं मध्य भारत में जिसकी शुरूआत बंगाल के पहाड़ी इलाके से लेकर पश्चिम तक जाता है और फिर माउंटआबू के ऊपर तक आता है, तो इस सारे इलाके को हम छोटा नागपुर इलाका कहते हैं, छोटा नागपुर प्लेटो कहते हैं। यह जंगल पहाड़ का इलाका है। अब हम इसमें किसका, कहां-कहां नया प्रांत बनायेंगे। अगर प्रांत बनाना है तो जरूर बनाया जाए, मैं उसका विरोध नहीं करती। लेकिन यह छोटे-छोटे प्रांतवार जो आंदोलन शुरू हुआ, इसको किसने बढ़ावा दिया? मैं यह कहना चाहती हूं कि आज जो शासक दल यहां बैठा है, उन लोगों ने अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए छोटे-छोटे प्रांतवाद का जन्म

[श्रीमती कमला सिन्हा]

दिया । आसाम को टुकड़े-टुकड़े में कर दिया । पश्चिम बंगाल में एक राज्य, एक दल का हुकूमत चल रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो दार्जिलिंग में गोरखा लैंड बने, इसके लिए उन्होंने हंगामा शुरू करवाया । ए०जी०पी० की सरकार आसाम में थी । वहां पर उन्होंने बोडो लैंड का नारा दिया कारीब अंगलोंग का नारा आज चल रहा है । आसाम को और भी टुकड़े-टुकड़े करने की बात हो रही है । आज अगर झारखंड के लोग चाहते हैं कि हमारे लिये भूमि का कोई अलग टुकड़ा हो तो उसका विरोध आप कितने दिन कर सकते हैं ? हमारी बहन ने यह कहा कि वनांचल प्रांत बने । वहां के लोगों की, आदिवासियों की मांग है—झारखंड । वह वनांचल जैसा संस्कृत शब्द नहीं समझते, वह झाड़ ही समझते हैं । वह झाड़ में रहने वाले हैं, जंगल में रहने वाले हैं । वह अपने प्रांत का नाम झारखंड कहते हैं । मैं अभी परसों झारखंड आंचल से लौटी हूं । वहां उन्होंने हर एक गाड़ी पर लिख दिया । चाहे राज्य ट्रांसपोर्ट की बस हो, अपनी बस हो, टैम्पो हो, हर चीज पर उन्होंने लिख दिया कि "झारखंड राज्य हमारा है ।" वनांचल राज्य हमारा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा । हो सकता है कि यह बी०जे०पी० की डिमांड हो, यह मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम लेकिन वहां के लोगों की जो मांग है वह है—झारखंड प्रांत ।

अब उनका कौन-कौन सा इलाका होगा उनकी मांग क्या है ? वे पश्चिम बंगाल के तीन जिले मांग रहे हैं—बीरभूम बांकुड़ा पुरुलिया और वर्द्धमान जिले का कुछ हिस्सा । उत्तर प्रदेश का सोनभद्र मिर्जापुर और उसके साथ का इलाका उड़ीसा के मयूरभंज कालाहांडी कुंझर व सुंदरगढ़ और उसके साथ का लगा हुआ इलाका । मध्य प्रदेश का बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा और उसके साथ लगा हुआ इलाका । बिहार के पुराने सिंहभूम जिला, परगना जिला, रांची जिला, पलामू जिला और हजारी बाग जिला । यह उनकी डिमांड है । अब सरकार को फैसला करना है कि उनकी यह डिमांड माने या नहीं माने । केन्द्रीय सरकार को निर्णय लेना है । केन्द्रीय सरकार ने पिछले दिनों तीन प्रांतों के मुख्य-मंत्रियों को बुलाया था । . . . (**समय की घंटी**)—पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने कहा कि हम नहीं मानते उन्होंने कोई दलील भी दी कि वह क्यों नहीं मानते उन्होंने यह भी कहा कि इनकी आबादी के आधे से कम संख्या है । इसलिए उनका यह हक नहीं बनता । बिहार के मुख्य मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार फैसला करे कि यह चाहती क्या है । केन्द्रीय सरकार निर्णय लेकर बताये कि उसकी मंशा क्या है और क्या चाहती है । क्या यह झारखंड राज्य बनाना चाहती है ? यह ठीक है कि आदिवासियों को चुनाव में आरक्षित सीटें हैं, नौकरियों में आरक्षित सीटें हैं, पढ़ाई-लिखाई में उनको आरक्षण मिला हुआ है । संविधान में शुरू से ही मिला हुआ है, भारत के आजाद होने के बाद से मिला हुआ है ।

इस आरक्षण के बावजूद नौकरियों में जितनी जगह मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही है । रांची में सबसे ज्यादा लिटरेसी है, वहां पर हंड्रेड परसेंट लिटरेसी है । रांची में कल कारखाने हैं, लेकिन उनको चौथे दर्जे में नौकरियां मिलती हैं । बाकी दूसरे प्रान्तों के लोग आकर काम करते हैं । तो वहां के लोगों को यह नागवार तो लगेगा ही । रोजी रोटी का मसला है, वह भी हल नहीं होगा, आर्थिक विकास की समस्या जब तक हल नहीं होगी तब तक नाराजगी लोगों के मन से जाएगी नहीं ।

महोदय, हमारी बहन ने सिंचाई की बात कही, बिजली की बात कही । गांवों के आंकड़े दिए । पता नहीं उनको कितनी जानकारी है, लेकिन छोटा नागपुर का जो इलाका है वहां पर एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 7-8 मील है । छोटे-छोटे गांव होते हैं । धरती के नीचे से पानी नहीं निकल सकता है । चुइया से बरसाती नालों से कुछ पानी लोग लेकर जाते हैं । सिंचाई के साधन वहां मुहइया कराना आसान नहीं है । कुछ वन सागर, रिहंद डेम बांधे

गए, उनके पानी का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा रहा है । मैं जानती हूं कि छोटा नागपुर, संथाल परगना में जितनी सिंचाई होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है । इसलिए छोटे-छोटे बांध बनाकर इस काम को किया जा सकता है । केन्द्र सरकार को चाहिए कि झारखंड इलाके के जो प्रान्त हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा इन सभी प्रान्तों में एक केन्द्रीय कोश से धन उपलब्ध कराए ताकि इन झारखंड इलाकों का समुचित विकास हो सके ।

महोदय, लैंड टीनेंसी ऐक्ट की बात हमारी बहन ने कही । यह बहुत पुरानी बात है । आज से नहीं एक युग से यह चला आ रहा है कि छोटा नागपुर में ट्रायबल लोगों की जमीन न तो कोई खरीद सकता है न ही वह बेच सकता है । लेकिन अंडरहैंड डीलिंग करके व्यापारी लोग, महाजन लोग खरीद बिक्री का काम करते हैं । उनसे लिखवा लेते हैं और जहां चाहे बेच देते हैं । इस तरह के केसेज जब मानने आते हैं तो उनका फैसला होता है । तो यह काम हो रहा है लेकिन जिस तेजी से होना चाहिए उतनी तेजी से नहीं हो रहा है । अन्याय होता है और अन्याय तो देश के हर भाग में है । जहां पर शिक्षा नहीं है, जहां पर रोजी-रोटी का उपाय नहीं है, जहां पर लोग पिछड़े हुए हैं वहां ज्यादा होता है । हिन्दुस्तान में आधी से ज्यादा आबादी अन्याय की शिकार है । हिन्दुस्तान में औरतें तो अन्याय की सबसे ज्यादा शिकार हैं । आज हमारे झारखंड अंचल में अगर लोग अन्याय के शिकार हैं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । आज के दिन उनको भारत के मेनस्ट्रीम में लाने के लिए सरकार को सही माने में उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए । यही नहीं जंगलों का संरक्षण भी इस अंचल में आवश्यक है । मैं परसों ही आ रही थी । मैंने देखा कि किस कदर वहां पर जंगलों को काटा गया है । जंगल उनकी आजीविका के साधन है । उनको उनसे मत छीनिए । जंगल भी रहे, वे भी रहें इसका उपाय करना चाहिए । तो सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड आंदोलन का बीज आपने बोया है । झारखंड आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा तो फिर उसका फल आप भी भोगेंगे और सारा देश भी भोगेगा । इसलिए झारखंड इलाके में रहने वाले लोगों का समुचित विकास हो, सारे देश की धारा के साथ वह मिलें, यह जिम्मेदारी-केन्द्र सरकार की है और प्रान्तीय सरकार की भी है । प्रान्तीय सरकार कम से कम इस काम को करने के लिए तैयार है ।

इतना ही कहकर मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : बैठ जाइए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : श्रीमती सरला माहेश्वरी ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सुषमा जी ने उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर तथा दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर, संथाल परगना को मिलाकर जिन उत्तरांचल और वनांचल राज्यों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं ।

इस प्रस्ताव को रखते हुए माननीय सदस्या ने यह दलील दी है कि इन राज्यों के निर्माण के पीछे वहां की जनता की मांग है उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि इन राज्यों के गठन से ही वहां की जनता की समस्याओं का समाधान हो सकेगा । माननीय सदस्या ने यह प्रस्ताव रखते हुए यह भी कहा कि सदस्यों को शायद जिज्ञासा होगी कि उन्होंने यह प्रस्ताव क्यों रखा । सुषमा जी को मैं यह कहना चाहूंगी कि वास्तविकता तो यह है कि यह प्रस्ताव जब आपकी ओर से आया तो हमें बिल्कुल भी जिज्ञासा नहीं हुई और न ही हमें किसी प्रकार का संशय हुआ । क्योंकि आप

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

जिस पार्टी की प्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी की हमें उस बारे में पता है । हम इस बात पर भी गौर करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मांग को काफी अरसे से उठाती रही है । लेकिन मैं यह चाहूंगी कि सुषमा जी ने अपना जो यह प्रस्ताव रखते हुए सदस्यों से और इस सदन से यह अपील की कि वह राजनीति से ऊपर उठ कर उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करें तो मैं यह कहना चाहुंगी कि स्वयं उनका यह प्रस्ताव उनकी राजनीति का हिस्सा है और इसलिए अन्य सदस्यों को राजनीति से ऊपर उठने की मांग जो उन्होंने की है उस मांग का कोई औचित्य ही नहीं है ।

आजादी के बाद भारत के राजनीतिक इतिहास पर यदि हम गौर करें तो हम देखते है कि आजादी के कुछ वर्षों के बाद ही हमारे देश में एक लोकप्रिय जन आंदोलन का दबाव तथा राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की स्वाभाविक परिणति के रूप में हमारे देश में भाषायी आधार पर राज्यों का गठन हुआ । लेकिन सुषमा जी भी इस बात को मानती होंगी कि भाषायी आधार पर राज्यों के गठन मात्र से ही उन राज्यों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ । आज भी हमारे देश में क्षेत्रीय असमानता बरकरार है और इस क्षेत्रीय असमानता के चलते आज भी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के ज्वलंत मुद्दे हमारे सामने हैं । आज अगर इस विषमता की जड़ों को हम टटोलना चाहे तो हम देखते है कि इस विषमता के मूल में हमारी शासक पार्टी कांग्रेस दल के द्वारा अपनाया गया विकास का दिवालिया पूंजीवादी रास्ता है । इसी रास्ते के चलते 45 वर्षों के अंदर हम इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि इन विगत 45 वर्षों में सम्पन्न लोग और भी सम्पन्न होते चले गये हैं और गरीब वर्ग और भी गरीब बनता चला गया है । मैं जिस बात को रेखांकित होना चाहती हूं वह यह है कि जिस कांग्रेस दल की नीतियों के कारण हमारा देश अनेक प्रकार की विषमताओं और तनाव से जुड़ा है वही कांग्रेस दल अलग-अलग मौकों पर इन्हीं विषमताओं और तनाव को अपने राजनीतिक उद्देश्य में इस्तेमाल करता रहा है । असम में धरती पुत्रों का नारा हो, महाराष्ट्र में मराठा जागो का नारा हो, शिवसेना को बढ़ाने का मामला हो.....

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मराठा नहीं मराठी ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मराठी हो सकता है ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मराठा एक कास्ट है और मराठी भाषा ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : हो सकता है । मराठा जागो हो । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन जो हकीकत है उसको बदलती नहीं हूं ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : आप उधर की नहीं है इसलिए कह रहा हूं ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद ।

इसी तरह से आन्ध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना की मांग, जय आन्ध्र का नारा, राज्यों के बीच जल विवाद संबंधी समस्याएं या सीमा संबंधी मसले, इन तमाम मामलों में हम देखते हैं कि कांग्रेस दल या उसी का एक हिस्सा इन आंदोलनों को हमेशा हवा देता रहा है । जनता के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से लड़वाना और फिर तनाव को अपने राजनीतिक हित में इस्तेमाल करना इनकी राजनीति रही है । एक तरफ तो कांग्रेस की भूमिका रही है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी उसी सिक्के का दूसरा पहलू है । उसने भी अपनी राजनीति का आधार हमारे देश की इन्हीं सामाजिक विषमताओं को और इन्हीं सामाजिक विषमताओं से उभरे हुए तनावों को बनाया है जो तनाव मूलतः एक

पिछड़े हुए देश में विकास के गलत पूंजीवादी रास्ते की विषमताओं से पैदा होते है । वनांचल और उत्तरांचल के संबंध में उनकी मांगों के पीछे ऐसा कोई उददेश्य नहीं है कि इन पिछड़े हुए क्षेत्रों की उत्पीड़ित जनता का कल्याण हो सके जिससे उत्पीड़ित जनता शोषण के जाल को काट कर आम राष्ट्रीय धारा में मिल सके । इस तरह का कोई उद्देश्य उनके इस प्रस्ताव के पीछे नहीं है । बिहार और उत्तर प्रदेश, दो प्रमुख, हमारे देश के बड़े राज्य हैं और जाहिर है कि इन दो बड़े राज्यों में जिस पार्टी की सरकार सत्ता में होगी उसका राजनैतिक प्रभुत्व भी अच्छा रहेगा और उसका दबदबा भी रहेगा । लेकिन इसी क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थ के चलते कोई पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी इन राज्यों में अपने क्षुद्र स्वार्थ साधने के लिए आर्थिक पिछड़ेपन से उपजे हुए तनाव का इस्तेमाल करके इस मांगों को उठाकर इस रूप में रखती है ताकि वह अपने राजनैतिक हित को साध सके तो निश्चित रूप में हमें यह देखना पड़ेगा कि उनका वास्तविक मकसद क्या है । यह हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले लोक सभा के चुनावों में उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में इनको आशातीत सफलता मिली । लोक सभा की चार सीटें और विधान सभा की 15 सीटे मिलीं । उनकी इस सफलता में किस हद तक साम्प्रदायिकता का जो उन्माद उन्होंने फैलाया था उसने काम किया, या इन नारों ने काम किया, यह तो शोध का विषय है यह भी देखने की जरूरत है ।

जहां तक राज्यों के संतुलित विकास का प्रश्न है, हम नहीं समझते कि अलग राज्य बनाने से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है । दरअसल उत्तर प्रदेश का कुमाऊं और गढ़वाल एक पहाड़ी क्षेत्र है । जहां तक बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगनों का प्रश्न है, इन दोनों इलाकों की समस्याएं एक है । यद्यपि दोनों का स्तर पिछड़ा हुआ जरूर है, लेकिन बिहार का जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर सामाजिक उत्पीड़न का प्रश्न कम महत्व का नहीं है । हम इस प्रकार की समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की तरह से सिर्फ प्रशासनिक कदम के रूप में नहीं देखते हैं । हमारे सामने पूरे देश का राजनैतिक विकास और इस क्षेत्र की विशेष समस्याएं तथा जन समुदाय की विशिष्ट समस्याएं भी हमारे सामने रहती है । आजादी की लड़ाई के दौरान एक ओर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए हमारे देश में एक भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म हुआ, वहीं उसके साथ-साथ विभिन्न जगहों पर, विभिन्न प्रान्तों में क्षेत्रीय राष्ट्रीयता का भी उदय हुआ । इसी काल में हिन्दी, आसामी, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, पंजाबी और कश्मीरी, इस तरह से लगभग 12 प्रमुख राष्ट्रीयताओं का भी उभार हुआ । हमने यह भी देखा कि इनके अलावा मणिपुरी, त्रिपुरी, नागा, गारो संथाल आदि कुछ अल्पसंख्यक राष्ट्रीयतायें भी उभरी । लेकिन अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो हम एक विशिष्ट बात देखते हैं । हमारे देश भारत में हम कोई उत्पीड़ित राष्ट्रीयता नहीं देखते हैं । आजादी से पहले जो प्रमुख औद्योगिक राज्य थे वे महाराष्ट्र और बंगाल थे । इन राज्यों में हम देखते है कि यहां की अर्थ व्यवस्था पर केवल मराठियों और बंगालियों का कब्जा नहीं था । लेकिन इसके बावजूद हमने इस तरह का उत्पीड़न इन दोनों राज्यों में कभी नहीं देखा या इस तरह का कोई भी लक्षण इन राज्यों में कभी दिखायी नहीं दिया । इसलिये आजादी की लड़ाई के काल में, उपसभाध्यक्ष महोदय, संघीय राज्य की अवधारणा हमारे सामने आ गई थी । इसी के आधार पर बाद में हमारे देश का संविधान तैयार हुआ । रूस में अनेक राष्ट्रीयताओं के बावजूद उसकी स्थिति अलग थी । वहां जार के रूस को प्रिजन हाउस आफ दि नेशनलिटीज कहा जाता था । वैसी स्थिति हमारे देश में कभी नहीं थी । उपसभाध्यक्ष महोदय, इसीलिये हम भारत के संघीय ढांचे को अधिक से अधिक मजबूत करने के लिये भारत के तमाम राज्यों को अधिकतम स्वायत्तता

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

प्रदान करने की मांग करते हैं । लेकिन साथ ही साथ हम किसी भी राज्य को इस हद तक आत्म-निर्णय देने के अधिकार का समर्थन नहीं करते जिससे वह स्वयं को भारत से अलग कर सके । हम राइट टू सेसेशन, पृथक होने के अधिकार का समर्थन नहीं करते । उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी मूलभूत दृष्टिकोण के आधार पर ही हम भारत के पिछड़े हुए राज्यों के बारे में अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आज हमारे देश में बहुत से राज्य हैं और इन बहुत सारे राज्यों की गिनती में एक आध राज्य और बन जायेगा तो मैं समझती हूं कि कोई कहर नहीं ढा जायेगा । लेकिन सवाल यहां यह नहीं है । सवाल नीतियों का है, सवाल इस बात का है कि यह अंतहीन सिलसिला कब रुकेगा ? इस अंतहीन सिलसिले को अगर रोकना है तो फिर क्यों नहीं इस सिलसिले को तत्काल बंद किया जाय ? उपसभाध्यक्ष महोदया जहां तक हमारे आदिवासी समुदाय के विकास का सवाल है, उन्हें सामाजिक न्याय देने का प्रश्न है, उन्हें देश की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रश्न है, इस बात से हम आंख नहीं चुरा सकते । छोटा नागपुर और संथाल परगना के वह इलाके तमाम प्रकार की प्राकृतिक सम्पदाओं धनी होने के बावजूद समृद्ध होने के बावजूद भी सबसे गरीब और पिछड़े हुए हैं । हम इस तथ्य से भी इंकार नहीं करते कि प्राकृतिक सम्पदाओं के दोहन के लिये जो उद्योग और आधुनिक कल-कारखाने वहां लगाये गये हैं उनके लाभ से वहां के आदिवासी समुदाय पूरी तरह वंचित है । उन्हें इस उत्पीड़न और अन्याय से बचाना होगा । उन्हें विकास के लाभों को देना होगा । इस पर तो हम एक मत है । लेकिन साथ ही क्या यह सच नहीं है कि समूचे भारतवर्ष में जो गरीब हैं वे अधिक से अधिक और भी गरीब होते जा रहे हैं अर्थात पूंजीवादी इस समस्या के समाधान में पूरी तरह विफल रहे है । अगर हम आदिवासी क्षेत्रों को देखें तो इस हकीकत से हम इंकार नहीं कर सकते कि वहां भी निहित स्वार्थी तत्वों का एक जाल तैयार हो चुका है अगर हम ऐसे निहित स्वार्थी तत्वों को पनपने देंगे और उनका जाल वहां बरकरार रहेगा तो इनके शोषण का शिकंजा बरकरार रहेगा और यह आम आदिवासी जन-समुदाय के हित में नहीं होगा । इसलिये पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास हो उत्पीड़ित, वंचित, जन-समुदाय अपने क्षेत्र के विकास के मामले में अधिक से अधिक शिरकत कर सके और वहां के विकास में भागीदार बन सकें, इसके लिये हमारे संविधान में सिर्फ अलग राज्य बनाना ही एकमात्र निदान नहीं है । हमारे संविधान में स्वायत्त जिला परिषदों के गठन की व्यवस्था है । पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में वाम मोर्चा सरकारों ने हमारे संविधान के इस प्राविधान का इस्तेमाल किया है । पश्चिमी बंगाल के दार्जलिंग क्षेत्र में स्वायत्त परिषद का गठन किया गया है । त्रिपुरा में भी स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया गया है । इस तरह की व्यवस्था बिहार और अन्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के लिये की जा सकती है और उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्र के लिये भी की जा सकती है । इन जिला परिषदों को और भी ज्यादा अधिकार दिये जा सकते हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी के काल में ही झारखंड राज्य की मांग के संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया था । इस कमेटी ने भी सीमित वैधानिक और प्रशासनिक अधिकारों के साथ बिहार के झारखंड क्षेत्र के लिये एक स्वायत्त आम परिषद के गठन की मांग की थी । कमेटी ने अपनी सिफारिश में जमीन तथा वनों का प्रबंध, कृषि जनस्वास्थ्य, परिवहन शिक्षा, लघु उद्योगों आदि के मामले में इस परिषद को ज्यादा अधिकार देने की भी सिफारिश की थी । हम इस कमेटी की सिफारिशों से पूरी तरह सहमत हैं । उस कमेटी ने बिलकुल सही तौर पर यह कहा था, मैं उद्धृत करना चाहूंगी—

"इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जाना चाहिए कि सिर्फ एक राज्य या केन्द्र शासित

प्रदेश का गठन हो सभी बीमारियों की रामबाण दवा नहीं हो सकती।"

इसलिए माननीय सदस्या श्रीमती सुषमा स्वराज जी जिस चीज को रामबाण दवा बता रही थी, मैं समझती हूं कि वह रास्ता नहीं है और आज की वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए वह रास्ता निश्चित रूप में उनकी एकता के उद्देश्यों को ही विफल नहीं बनाएगा बल्कि हमारे देश के ऊपर भी बहुत बड़ा खिलवाड़ करेगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जो लोग झारखण्ड राज्य की मांग कर रहे हैं, जो लोग बोडोलैंड या गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं, वे सभी कमोबेश उसी राजनीति के शिकार हैं या उस राजनीति के तहत काम कर रहे हैं जो खालिस्तानियों की राजनीति है। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भी आज उसी राजनीति का हिस्सा बन कर के रह गई है या उसी विभाजनकारी रास्ते की ओर देश को ले जाना चाहती है। भारत के तमाम पिछड़े हुए क्षेत्रों और जनसमुदाय को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना, भारत की एकता और अखण्डता की लड़ाई का एक प्रमुख हिस्सा है, इससे मुंह नहीं चुराया जा सकता है। लेकिन यह लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल कर नहीं की जा सकती है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे टी० एस० इलियट की पंक्तियां याद आती हैं :—

Between the idea
And the reality
Between the motion
And the act
Falls the Shadow.

उपसभाध्यक्ष महोदय, सुषमा जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव में भी मुझे साम्प्रदायिकता, विभाजनवादी और पूंजीवादी पार्टी की छाया नजर आती है। इसलिए मैं उनके इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकती। धन्यवाद।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे सदन की माननीय सदस्या श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने जो संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत किया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने और बड़ी संख्या में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रबल जनमत को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों को मिला कर उत्तरांचल नाम एक पृथक राज्य को बनाया जाए और दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर-सन्थाल परगना क्षेत्र को मिलाकर वनांचल नामक एक पृथक राज्य बनाया जाए। वास्तव में हमारी माननीया सदस्या श्रीमती सुषमा स्वराज जिस दल की सदस्या है उसका जन्म ही पृथकतावाद से हुआ है और उसकी पृथक दृष्टि है। उसके नेता इस देश में सार्वभौमिकता को बराबर चैलेंज करते रहे हैं। यह राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र रहेगा, इसमें अगर मुसलमानों को रहना है तो वह अपने को हिन्दू घोषित करे तब वह रह सकते हैं, किसी सिख को इस देश में रहना है तो वह अपने पांचों पंचमकार कच्छा, कड़ा, कृपाण, कंघा और केश का परित्याग करें तब रह सकते हैं। यह अपनी अलग डफली सुनाने का उपक्रम शुरू से करते रहे हैं। मैं अतीत में नहीं जाना चाहता हूं। जब राष्ट्र की स्वतन्त्रता की लड़ाई चल रही थी और उस समय उनके दल का नाम चाहे कुछ भी रहा हो, लोगों को परतंत्र बनाने वाले अंग्रेजों के खैरख्वाह बन कर के माफीनामा कचहरियों में, जेलों में मांग रहे थे तो इनका अतीत, वर्तमान, भविष्य ये तीनों एक विचित्र संयोग से बने हुए हैं। केवल पृथकतावादी तत्वों में ही विद्यमान है। "हिमालयो नाम नगाधिराज", हमारे कवि कुलगुरू ने लिखा। हिमालय का सौभाग्य है कि गंगोत्री, जमुनोत्री वहां हैं। प्रकृति की समस्त सम्पदा से परिपूर्ण चमोली, गढ़वाल आदि क्षेत्र हैं। पंत जी वहां से आते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लोहपुरुष भारत के थे शायद उनके बाद

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

पंत जी की आवश्यकता उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में नहीं बल्कि देश के स्वराष्ट्र मंत्री के रूप में महसूस की गयी। उस स्थान को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया जाए और एक अलग उत्तरांचल बना दिया जाए यह कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है क्योंकि हमारी कांग्रेस सरकार ने इन्दिरा जी के सुझाव पर, राजीव गांधी और प्रदेश के निर्देश पर हिल डेवलपमेंट बोर्ड बनाया था। हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं। पूर्वांचल जो हमारे पश्चिम बिहार से शुरू होता है वहां के लोग अलग राज्य की मांग करें, ब्रज भाषा बोलने वाले क्षेत्र के लोग अलग मांग करें, बुंदेलखंड के लोग अलग मांग करें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अलग मांग करें तो हम बड़ी शान के साथ जो दुनिया में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश दुनिया का पांचवां राष्ट्र है, आबादी की दृष्टि से वही खत्म हो जाएगा। टुकड़ों-टुकड़ों में हम बांट डालेंगे प्रदेश को। इसकी इजाजत उत्तर प्रदेश की और देश की 12 करोड़ से ऊपर जनता किसी एक साम्प्रदायिक दल को देने को कतई तैयार नहीं है। जहां तक फैसिलिटीज की बात है, उपसभाध्यक्ष जी, हमने जो फैसिलिटीज दी हैं जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय विकास के आंकड़े मौजूद हैं उनकी ओर मैं ध्यान दिलाऊंगा। ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, हिल रीजन और जो शेष क्षेत्र हैं इन पांचों में बांटकर देखा जाए तो लगभग 40 फीसदी शिक्षित लोग इस एरिया में हैं। जो वर्तमान कीमतों के आधार पर घरेलू पैदावार है वह जहां पूर्वांचल में .32 है, पश्चिमांचल में .41 है और मध्य क्षेत्र में .40 वहां हिल एरिया में .35 परसेंट है। हर क्षेत्र में, चाहे सम्पूर्ण जनसंख्या के घनत्व का मामला हो चाहे पर कैपिटा इन्कम की बात हो, चाहे वर्तमान कीमतों के आधार पर घरेलू पैदावार की बात हो, चाहे कम भूमि तथा कुल भूमि का उत्पादन का प्रतिशत हो।

सामान्य पैदावार हो, कृषि उत्पादन का ग्रास मूल्य और क्रय शक्ति का मामला हो, प्रत्येक क्षेत्र में सिंचित भूमि की बात हो, बिजली के उपयोग की बात हो, पूर्वांचल में पूरे 127.5 और बुंदेलखण्ड में 56.10, वैस्टर्न रीजन में 147.11, सेंट्रल रीजन में 119.76 और हिल रीजन में 151.11 हम बिजली का उपभोग कर रहे हैं।

सब से कम बिजली हमको पूर्वांचल में मिलती है। संपूर्ण ग्राम संख्या की बात हो, साक्षरता की बात मैंने की, पक्की सड़कें 276.2 प्रतिशत यहां बनी हैं, सेंट्रल रीजन में 73.1 प्रतिशत बनी हैं, वैस्टर्न रीजन में 4.69 प्रतिशत बनी हैं, बुंदेलखंड में 114.42 प्रतिशत बनी हैं और पूर्वांचल में 73.26 प्रतिशत बनी हैं। किस आधार पर ? क्योंकि आपको वोट मिल गया है, एक बार आप बिल्ली के भाग से शिकार आपके हाथ में लग गया है, तो आप राम और कृष्ण की धरती को बद्रीनाथ और केदार नाथ के अनादिकाल से जो तीर्थस्थल चले आ रहे हैं, उस धरती को जहां से गंगा-जमुना प्रवाहित होती है, उस धरती का आप बंटवारा करना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : गुरु गोबिन्द सिंह के तीर्थस्थल हैमकुंड को....

(व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : हेमकुंड जो बद्रीनाथ के समीप गुरु गोबिन्द सिंह ने स्थापित किया—जहां-जहां हमारे हिन्दुओं के धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, वहां-वहां गुरु गोबिन्द सिंह जी गये और उन्होंने उनसे समन्वय करके, क्योंकि राम, कृष्ण का जितना नाम गुरु गोबिन्द सिंह ने अपने साहित्य में लिया है, गुरु नानक ने जितना नाम हिन्दू देवी-देवताओं का लिया है, रक्षा की है, वहां-वहां धार्मिक सद्भावना के निर्माण के लिये गुरु गोबिन्द सिंह गये और हेम कुंड की भी स्थापना हुई और इसके लिये एक परिषद भी बन गई है। आपने अपनी असेम्बली में प्रस्ताव भी पास करके हमारे सरकार को भेज दिया है,

लेकिन जो सब से चिन्ता और दिक्कत की बात है, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग कर रहा है। कुल 70 लाख के आस पास वहां आबादी है और यह कहते हैं कि उसमें नौ जिले अभी तक हैं, 23 जिले हम बनायेंगे, 105 विधान सभायें बनायेंगे और मकर संक्रांति के दिन से इसके अध्यक्ष ने अल्मोड़ा में लगने वाले मेले में उत्तराखंड राज्य की रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। अभी तक उत्तर काशी, टिहरी, चमौली, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, पिथौड़ागढ़, अल्मोड़ा तथा नैनीताल, इन जिलों को नौ को मिला करके इनकी मांग चल रही है और 23 जिलों में इसको बांटेंगे।

इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य के स्वरूप के बारे में राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों को विश्वास में लेकर सर्वानुभूति बनाने का प्रयास नहीं किया है और इस तरह से पृथक राज्य के बारे में कोई पृथक दस्तावेज भी केन्द्र को नहीं भेजा गया है।

लेकिन स्थिति कुछ भिन्न है और एक सुनियोजित ढंग से हमारे देश को टुकड़ों-टुकड़ों में बांटने के एक भाषावार प्रान्त हमने बनाये और उसका परिणाम हुआ कि रोज नई-नई मांग उठती है और जो सिर उठाता है, सब से पहले अलग होने की बात करता है कि हमको अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। अगर राज्यों की इतनी मांगें आयेंगी और एक बार ढील दी जाएगी कि जितने जिले हैं, उतने राज्यों की मांग हो सकती है कि इतने राज्य बनाये जायें और जब जब इस देश का केन्द्रीय शासन कमजोर हुआ है, जब-जब इस देश की केन्द्रीय सत्ता ने समर्पण किया है, झुका है, जो चुनौतियां मिली हैं अलगाववाद की—इसी तरह से सन् 1974 में खालिस्तान की मांग उठी और खालिस्तान का आन्दोलन बन गया और देश को तोड़ने का, निर्दोष लोगों को खून की नदी में प्रवाहित करने का काम करने वाला एक विदेशियों के इशारे पर चलने वाला संगठन बन गया और उसमें खालिस्तानियों में भी इतने दल, इतने गौत्र, उप गौत्र हो गए हैं कि उनका भी ज्ञान किसी को नहीं है। अभी इस क्षेत्र में वार्षिक आय 7 अरब रुपये से अधिक की है और राज्य बनने के बाद दस वर्षों में ये लोग कल्पनाकर

4.00 P.M.

रहे हैं कि 15 अरब रुपये का अपना आय स्रोत बना लेंगे। दस वर्षों में 15 अरब रुपये का आय स्रोत बनायेंगे जबकि 7 अरब रुपया अभी मिल रहा है तो आसमान से तो यह रुपया टपक नहीं रहा है। केन्द्र सरकार का जो इस पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए अवदान है उससे 7 अरब रुपया इन पर उत्पादन और खर्च हो रहा है। खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहाड़ की छाती को चीर करके जमीन शस्य श्यामला धरती उत्पादन पूर्ण इन्हें दी गई है और इस दल ने जो 10 हजार से लेकर 80 हजार वोटर्ज पर यह चाहते हैं कि एक एम० एल० ए० आए और 70 एम० एल० ए० हमारे हों। इसलिए इनकी जो मांग है वह एकांगी है। यह इनके दल का जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने वाला है और उसके अलावा सुषमा जी के चिंतन में, जो प्राय: मौलिक चिंतन करती है, एक विशुद्ध पार्टी लाईन पर इनका चिंतन है और प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त झारखंड की मांग चल रही है और झारखण्ड आन्दोलन भी कई बार हुए। आदिवासी इलाकों में जो विकास के काम होने चाहिए थे वे नहीं हुए। आदिवासी संस्कृति, आदिवासी कला को हम अपने भारतीय अस्तित्व के मूल में रख करके दुनियां में अपनी आदिवासी संस्कृति का प्रचार-प्रसार कर लें, लेकिन आदिवासियों का जो जीवन है, वह जीवन पिछड़े हुओं का जीवन है। आधुनिक सभ्यता और संस्कृति से शिक्षा के नए प्रकाश से उनका बहुत कम ताल्लुक है। अब तेजी के साथ उनमें शिक्षा की प्रवृत्ति जागृत हो रही है और वे अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर रहे हैं। जहां तक जो झारखंड आंदोलन है, अब बिहार में जो स्थापित व्यवस्था है, इतने पोलिटीकल प्रतिष्ठित लोग होते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि वहां बी०जे० पी० की कहीं जड़ नहीं है, कोई आधार नहीं है,

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

तो वहां आदिवासी और वनांचलों के बीच में जो निर्मल बुद्धि के सीधे-सादे सच्चे दिल के, लोग होते हैं, उनके भीतर .....(**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : 5 एम० पी० आए हैं ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : 5 एम०पी० आए हैं तो बिजली गिर गई ? कोई बिजली नहीं गिर गई, हमारे तो सब आयेंगे अगले चुनाव में और आपके जीरो हो जायेंगे ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : गौतम जी, आपका भाषण होने वाला है ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : लोगों को भ्रम में रख करके झूठे आश्वासन दे करके और इस तरह के नारे दे करके जो बड़े प्रिय लगते हैं (**व्यवधान**) उसका ले करके ये आते हैं माननीय उपसभाध्यक्ष जी, कभी इन्होंने कहा था कि इस देश में गोहत्या बंद होनी चाहिए उस पर वोट इनको मिला । कभी कहा था कि गंगा का पवित्रीकरण हम करेंगे और गंगा रथ निकाला था, उस पर वोट मिला । अब राम मंदिर के नाम पर मूर्तियां तोड़ करके मूर्तियों के भंजक हैं ये, मूर्ति की स्थापना हिन्दु और सनातन धर्म में की जाती है, लेकिन न जाने कितनी मूर्तियों को इन्होंने तोड़ा है ? जो अनादिकाल से हमारी पूजा की वस्तु थी और नए राममंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें 600 करोड़ रुपया (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : What is the point ?

श्री संघ प्रिय गौतम : सर, विषयांतर है, विषय पर नहीं बोल रहे हैं ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : नहीं, नहीं, विषयांतर तो आप बी०जे०पी० के हैं । बी०जे०पी० के कार्यकलापों के संदर्भ में उत्तरांचल और वनांचल की बात कर रहे हैं । (**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतम : प्रस्ताव बी० जे० पी० का नहीं है, वनांचल पर प्रस्ताव है ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : आपके मेनिफेस्टो में नहीं है यह ?

श्री संघ प्रिय गौतम : लिखा है ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : लिखा है, न आप सारे सदन पर अपने इलेक्शन मेनिफेस्टो को लादना चाहते है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : पाण्डेय जी, उनका कहना है कि प्राइवेट मेम्बर्स बिल है, it has nothing to do with the party, *(interruption)*. It is his view.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : उनके व्यू का अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो हमारा कर्म, हम सही ढंग से सदन को और राष्ट्र को (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : आप कहिए ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय उपाध्यक्ष जी, झारखण्ड आंदोलन के लिए, अलग-अलग मांगे उठती हैं । आपके महाराष्ट्र में विदर्भ के के विकास आंदोलन हुए, लेकिन हम उसको सेपरेट नहीं मानते हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : पाण्डेय जी, चेयर में बैठे हैं हम । महाराष्ट्र वगैरह कुछ नहीं है ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : आप तो राष्ट्र हैं इस समय । विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और वेस्टर्न महाराष्ट्र चार जोन में बांटकर के हम उसके विकास की मांग कर रहे हैं, महाराष्ट्र को बांटकर कोई नया प्रांत बनाने की बात हम नहीं कर रहे हैं । विकास होना चाहिए, जहां अभाव है, जहां बेकारी है, जहां रोग है,

जहां लोगों को सामाजिक अन्याय से ग्रसित होकर के परस्पर प्रतिस्पर्धा में अपनी प्रतिभा के वास्तविक प्रस्फुटन का अवसर नहीं मिलता और अवसर मिलना चाहिए । लेकिन, अलग प्रांत बना दिया जाए, अलग उन्हें चिह्न दे दिया जाए, अलग विधानसभा बना दी जाए, अलग विधान-परिषद बना दी जाए, अलग उसके सब क्षेत्र बना दिए जाएं, यह तो राष्ट्र को तोड़ने वाली बात मैं मानता हूं । हमारा राष्ट्र बहुत टुकड़ों में बंट चुका है और जितना अधिक हम अलग करने की बात करेंगे, जितना अधिक तोड़ने की बात करेंगे, तो कितनी दीवालें हम खड़ी करना चाहते हैं इस देश में ? हमारे कौशल, मगध जितने थे, इस राष्ट्र के प्रांतीय धरातल रहे हैं राजतंत्र के तहत, लेकिन हम कितने प्रांत बनाएंगे । जब अंग्रेज आया तो इस देश में कई ऐसे राजे-रजवाड़े थे जो अपना, अपना सिक्का, अपने-अपने कानून, अपनी-अपनी व्यवस्था, अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग बजाते रहे । उसका परिणाम हुआ कि अंग्रेजों ने हमारे आंतरिक कार्यों में दखल दिया और एक दिन भारत के मालिक बन बैठे । विरोधी बाहरी ताकतें तब हमारे में प्रवेश करती हैं, जब हमारी एकता छिन्न-भिन्न होती है और अलगाववाद की भावना से ग्रसित होते हैं । उस भावना को मिटाना है ।

महोदय, यहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है, नेहरू जी के समय से इंदिरा जी के समय में बराबर झारखंड के लोगों को महत्व दिया गया, विशेष प्रतिनिधित्व, विशेष स्थान और विशेष ढंग से उनकी पहचान की गई, चाहे वह मध्यप्रदेश के जिले हों, चाहे बिहार के पलामू और संथाल परगना के जिले हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का सोनभद्र इलाका हो, चाहे उड़ीसा का अंश हो, आदिवासी बहुल क्षेत्र में ! हम अलग-अलग कल कहेंगे कि ब्राह्मण राज्य बना दो, कल कहेंगे कि बनिया राज्य बना दो, कल कहेंगे कि आदिवासी राज्य बना दो, कल कहेंगे कि राजपूत राज्य बना दो । इसका कोई औचित्य सचमुच में नहीं आता है । भाषा वार प्रांत हमने बांटे थे, भाषा बोलने वालों के आधार पर, लेकिन हम एक तरह के बहुसंख्यक लोग निवास करते हैं । विभिन्न प्रांतों को टुकड़ों में बांटकर के एक नया हिस्सा बना दो, इस तरह की मांग जो है, इसमें निश्चित रूप से विदेशी ताकतों का हाथ रहता है और साधन इनको आंदोलन करने के लिए वहां से आते हैं और इसका प्रमाण केन्द्र सरकार के पास होना चाहिए । गृहमंत्री जी, बैठे हैं, मैं समझता हूं, वे अपने जवाब में इस चीज को जरूर बताएंगे कि जो अलगाववाद की भावना है उसको उत्तेजित करने को, उसको प्रोत्साहित करने को राष्ट्र के जो विरोधी दल हैं, वे किस रूप में अपनाते हैं .. और इसमें मेरा दृढ़ विश्वास है । समय-समय पर इसमें बातें होती रही है कि इसमें विदेशी ताकतें, कहीं तो संस्थाएं बनी हैं वन के लोगों के विकास के लिए और उसमें सी० आई० ए० का पैसा आता है । मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में कई ऐसी संस्थाएं पकड़ी गई है और डेवलपमेंट के नाम पर, दवाएं बांटने के नाम पर, आदिवासी बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर बेतहाशा पैसा आ रहा है और उससे उनको उत्तेजित किया जा रहा है कि तुम अलग अपने राज्य की मांग करो । इस तरह की मांगें हमारे ...(**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरा व्यवस्था का पहला प्रश्न तो यह है कि इतना समय तो प्रस्तोता को भी नहीं दिया गया, जितना समय डा० पाण्डेय ले रहे हैं । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि 5 बजे यह प्रस्ताव समाप्त होगा , (**व्यवधान**)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : अगली बार आगे होगा न ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : एक मिनट, मुझे पूछ तो लेने दीजिए कि कितने बजे सरकार का मत मंत्री जी इसमें प्रकट करेंगे क्योंकि उसके बाद मुझे बहस का जवाब भी देना है और बहस का जवाब के लिए भी मुझे 20-25 मिनट चाहिए ।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

तो सरकार एक बार बता दे कि मंत्री जी कितने बजे बोल रहे हैं क्योंकि मुझे बहस का जवाब देना है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : That is not a point of order.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : अगली टर्न पर कराइए न इन्टरवीन । आज लोगों को विचार तो व्यक्त करने दीजिए ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : हाँ, यह तो बता दें कि आज नहीं हो रहा है मैं यही तो जानना चाहती हूं कि सरकार कितने बजे इन्टरवीन कर रही है, मुझे बहस का जवाब देना है । कितने बजे शुरू करेंगे यह तो बता दें ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : महोदय, प्रस्तोता महोदया को मेरे बोलने से

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : There is no point of order in what you are saying, The position is, on the Private Members Resolutions, we do not usually disturb the Members. We permit them. Secondly, there are about eleven speakers. So don't think the turn of the Minister will come today. (*Interruptions)*

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : There is a point of order. You can sav—

आप कहें कि 11 लोग तब तक नहीं बोल पायेंगे अगली बार चलेगा । आप कहिए कि अगले सत्र में करेंगे । I have a right to ask you.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : यह क्या कहलाना चाहती है । यह विदड्रा हो गया था ?

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप कैसे कह रहे हैं विदड्रा हो गया ? आपने कैसे कहा, विदड्रा हो गया ? विदड्रा करना या न करना तो मेरे हाथ में है ।

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम लाल राही) : सर, मेरा कहना यह है कि इसमें कोई समय निर्धारित किया गया होगा ?

एक माननीय सदस्य : नहीं ।

श्री राम लाल राही : अगर समय निर्धारित नहीं है तो जो माननीय सदस्य पार्टिसिपेट करना चाहेंगे इसमें, करेंगे और उसके बाद जब आप चाहेंगे जवाब सरकार की तरफ से आ जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है । आज आना चाहिए तो आज आ जाएगा, और अधिक इसमें बहस करना चाहें तो और हो जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : मंत्री जी, आपको कुछ कहना होगा तो बीच में भी आप कह सकते हैं । If you want to speak, you can speak.

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री जी ने मुझसे पूछा है, अगर यह विकल्प मेरा है तो मैं चाहूंगी कि सरकार आज ही जवाब दे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : You cannot force. *(Interruptions).* This is not the procedure. 1 am sorry to say that this is not the procedure. *(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : उन्होंने मुझसे च्वाइस पूछी है । मेरी च्वाइस है कि वे आज जवाब दें ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : There arc several resolutions which are discussed in this House and they lapse if the House docs not continue.

श्रीमती सुषमा स्वराज : तो सीधा कहिए कि सरकार की इंटेंशन इसको लेप्स कराने की है ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारी .....

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : वह खाली मिनिस्टर को सुनना चाहती है, आपको नहीं ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : खाली मिनिस्टर को कैसे सुनेंगी, मिनिस्टर तो मर्यादाओं में बोलेंगे.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : She is insisting that the Minister should speak. You are forgetting that this is a Private Members day and each Member has a right to -speak on it.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : उपसभाध्यक्ष जी, यह सारे देश के लिए बहुत इम्पोरटेंट है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Do you want to speak on it.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : हां, मेरा नाम है इसमें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Every Member wants to speak on it. *(Interruption.'))*

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : I don't want to curb the Members' right to

speak. I am only asking you. आज होगा या बाद में होगा ? मैं केवल यह कह रही हूं कि मुझसे ज्यादा समय आप इन्हें दे रहे हैं, कोई समय-सीमा है या नहीं ?

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : मेरे को पता नहीं, आपने कितना समय लिया ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके रेजोल्यूशन की मैं इतने विस्तार से व्याख्या कर रहा हूं ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मुझे मालूम है कैसी व्याख्या आप कर रहे हैं ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं उसके समर्थन में बी० जे० पी० के इलेक्शन मेनिफेस्टो के अनुसार तो नहीं बोल सकता । हमारा जो इलेक्शन मेनिफेस्टो है उसके अनुसार मैं बोल सकता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : आप लोगों को प्रोवोक कर देते है ।

श्री संघ प्रिय गौतम : बोलिये पाण्डेय जी, बोलिये ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं कह रहा था कि जो आदिवासी इलाका है वहां.....**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Please complete it now.

DR. RATNAKAR PANDEY : Why, Sir ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : She is objecting to your speaking.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Sir, I urn not objecting to his speaking. मैं यह कह रही हूं कि समय की कोई सीमा बांधिए i am not cutting the right of the Member So speak on such an important issue.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उनका कहना है कि जब उन्होंने मूव किया तो कम समय दिया गया ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : अगर और समय मांगा होता तो दिया जाता । **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : If you want to speak now, I can give you the time

डा० रत्नाकर पाण्डेय : अब विदड्रा करते समय बोलेंगी । **(व्यवधान)**

PROF. CHANDRESH P. THAKUR (Bihar) : Sir, I am on a point of order. This kind of interchange is infringing on the right of those Members who are still listed in the speakers' list. If the total time is limited and if 15 minutes are wasted like this, then we who are listed are to suffer. This is an issue which does not affect a particular State or two, but it is a larger policy matter and we have to discuss it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : What is your point of order ?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : You should let it continue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : There is no point of order in it. Every Member has got a right to speak.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सवाल इस बात का है कि आदिवासियों के साथ .....**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : I will clarify the position. Under Rule 161 each Member has got 15 minutes' time and thereafter we use our discretion. पांच मिनट में फिनिश कीजिए ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आदिवासी क्षेत्रों को हम अलग वनांचल या झारखंड क्षेत्र न बनायें बल्कि आदिवासी बाहुल्य सम्पूर्ण झारखंड क्षेत्र का कैसे विकास हो इस पर विचार करने की जरूरत है और हम समझते हैं कि पिछले 40 वर्षों से वनवासियों के क्षेत्र के विकास के लिए हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में उन्हें बड़ी-बड़ी योजनाएं नहीं मिली हैं, आर्थिक आधार पर वितरण में उनके साथ अन्याय किया गया और उनको शासन का कम लाभ मिला है, चाहे प्रांतीय शासन का हो, चाहे राष्ट्रीय शासन का हो। मुक्ति उसके लिये कोई विस्तृत आयोग बनाया जायेगा। मार्च में, संभवतः 21 मार्च को झारखंड मोर्चे के सारे आदिवासी नेताओं ने और उनके स्टूडेंट लीडर्स ने हमारे गृह मंत्री जी से बात की थी और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि विकास की बात होनी चाहिए, अलगाववाद की बात नहीं होनी चाहिए । संयोग से जो पिछली दो सरकारें आयी, वह आश्वासन वाली सरकारें थी । चार महीने बनाम चालीस साल वाली सरकार थी । उन्होंने कुछ नहीं किया बल्कि और चीजों को उलझाया तथा लोगों के भीतर झूठी आशाएं जगायी और शासन की ओर से कर्म के नाम पर शून्यवाद का प्रचलन किया । लेकिन इस देश में केन्द्रीय सरकार को चैलेंज करके, आंख दिखाकर कोई चाहे कि हम अलग अस्तित्व बना लेंगे और जो राज्य केन्द्र सरकार के संबंध वाली बात बराबर उठती है, उसमें राज्य सरकार अपनी नई-नई समस्याएं उत्पन्न करके केन्द्र सरकार को उलझन में डालने की कोशिश न करे । नहीं तो, केन्द्र सरकार को भी राईट है, पूर्ण अधिकार है कि यदि राष्ट्रीयता पर आंच आती है, अलगाववाद की वृद्धि होती है और जनहित में काम नहीं होता है तो प्रांतीय सरकारों को भंग करने का उसे पूरा अधिकार है । केवल बहुमत के नाम पर लोग चाहें कि हमारे देश को टुकड़े-टुकड़े में बांटा जायेगा समय की -(घंटी)- राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर सब लोग वहां हैं क्रिश्चयंस की वह धरती है, मुसलमानों के पैगम्बरों की वह धरती है । उसको अगर एक एक इंच हिस्सों में बांटा जाता है तो उससे कल पूर्वांचल की मांग उठ सकती है परसों वृज भूमि की मांग उठ सकती है, उसके बाद बुंदेलखंड की मांग उठ सकती है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग उठ सकती है । क्या टुकड़े टुकड़े में बांटकर हम उत्तर प्रदेश को देखना चाहते हैं या उड़ीसा, मध्य प्रदेश बिहार आदि जो राज्य हैं उनको हिस्सों में देखना चाहते हैं? ये सब चीजें ऐसी है जो इस राष्ट्र को संकीर्ण दृष्टि से देखने की दृष्टियों से भरी हुई है और संकीर्णता और नीचे गर्त में जाने का काम करने वाले

कामों से हमें अलग रहना है । जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो पर्वतों पर किन्नर और किन्नरियां हैं उनको हम धरती से अलग नहीं कर सकते है । धरती से अलग करने का जो कुचक्र भारतीय जनता पार्टी चला रही है उसकी हम निन्दा करते हैं और पूर्वांचल और उत्तरांचल की जो मांग है उसका हम समर्थन कर सकते हैं, वनांचल की मांग का समर्थन कर सकते हैं लेकिन भारत एक है, एक रहेगा । उसको टुकड़े-टुकड़े में प्रान्तों के नाम पर बांटकर हम प्रान्तों के विभाजन का मेला नहीं लगाना चहते हैं । भारत की एकता और अखंडता के लिए जितने प्रान्त बंट चुके हैं इस तरह की प्रवृत्ति को, सिर उठाने वालों को कुचल देना चाहिए । गृह मंत्री जी सुनिये आप यहां पर बैठे हैं, बैठे रहें, बहुत बड़ा गर्व है हमको आप पर तो आप ऐसी शक्तियों को जो देश को तोड़ने का काम कर रही है, जो अलगाववाद की बात करती हैं, जो विदेशी ताकतों से सहायता लेती हैं, ऐसी शक्तियों को कुचलने की ताकत आपके भीतर होनी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ में सुषमा जी का सम्मान करता हूं , उनकी बहुत सी राष्ट्रीय विचार-धाराओं से हम लोग सहमत रहते हैं, लेकिन यह भारत को तोड़ने वाला प्रस्ताव है और भारत को टुकड़े-टुकड़े में बांटने वाला प्रस्ताव है । बिहार जो चन्द्रगुप्त और चाणाक्य की जन्मभूमि है, उत्तर प्रदेश राम और कृष्ण की आत्मा है, उनको आप एक ही रहने दें , उनको आप टुकड़े-टुकड़े में न बांटे, उत्तरांचल और वनांचल बनाकर । मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि पूरे सम्मान के साथ अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ताकि राष्ट्र एक रहे, उत्तर प्रदेश और बिहार का नक्शा छोटा न होने पावे । धन्यवाद

श्री संघ प्रिय गौतम : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सुषमा स्वराज जी का प्रस्ताव राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है और वह भी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों के पुनर्गठन से । .....(**व्यवधान**) पांडे जी आप तो प्रिंसीपल हो, हम तो शिष्य हैं, थोड़ा शिष्यों की भी बात सुन लें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मालोदकर) : गौतम जी, आप चेयर को ऐड्रेस कीजिए ।

श्री संघ प्रिय गौतम : श्रीमन, राज्यों के गठन और पुनर्गठन की प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है । प्रायः राज्यों का गठन और पुनर्गठन इतिहास, भूगोल, संस्कृति और भाषा के आधार पर हुआ है। यह भी सही है कि शासकों के शासन क्षेत्र की सीमाएं भी राज्यों के गठन और पुनर्गठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही है । शासकों की जय और पराजय के उपरान्त सीमाओं के विस्तार और संकुचन ने भी राज्यों के गठन और पुनर्गठन में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है । यह प्रक्रिया हमारे देश में बुद्ध के प्रादुर्भाव से पहले से लेकर बुद्ध के समय और बुद्ध के बाद जब अनेक राज्यों से मिलकर हमारे यहां जो गणराज्य थे तब से चली आ रही है मुगल कालीन साम्राज्य में भी यह चला और ब्रिटिश साम्राज्य में भी चला । लेकिन तीन प्रकार के राज्य अस्तित्व में आए । एक तो बहुत छोटे राज्य, दूसरे सूबे और तीसरे साम्राज्य । इन तीनों के बीच में प्रशासनिक दृष्टि से एक त्रिकोणीय ढांचे से परेशान होकर कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई के दौरान में 1938 में हरिपुरा सेशन में यह प्रस्ताव पारित किया था कि हम राज्यों का पुनर्गठन चाहते हैं और राज्यों का पुनर्गठन करेंगे । पहला उनका संकल्प था कि हम छोटे राज्यों को बड़े राज्यों में परिवर्तित करेंगे या राष्ट्र ईकाई में उनका अमलगमेशन करके राष्ट्र को मजबूत बनायेंगे । चुनाचे 1948 में कांग्रेस ने धर कमीशन नियुक्त किया और 1953 में री-आर्गेनाइजेशन आफ स्टेट्स के लिए कमीशन बनाया जिसका समर्थन भारतवर्ष के कांग्रेस के अनेक नेताओं ने किया अगर इन सब का नाम लूंगा तो मेरा समय समाप्त हो जायेगा । मेरी बहन सरला जी चली गई ।

[श्री संघ प्रिय गौतम]

कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर श्री हीरेन मुखर्जी ने भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था कि राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए । (व्यवधान) उस के बाद जब पुनर्गठन हुआ और छोटे राज्यों को बड़े राज्यों में या केन्द्र शासित राज्यों में परिवर्तित कर दिया गया तो देश की परिस्थिति बदल गई और भाषा के नाम पर प्रांतों की मांग जोर पकड़ने लगी । चुनाचे फिर कांग्रेस पार्टी ने लिंग्विस्टिक कमीशन नियुक्त किया और 56 व 66 में भाषा के नाम पर अनेक प्रांतों का गठन हुआ । मैं उन राज्यों का नाम लेना चाहता हूं । वे राज्य थे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा । इन राज्यों का पुनर्गठन हुआ । इससे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ । इस पुनर्गठन के बाद एक बात जरूर परेशानी की पैदा हुई कि आर्थिक ढांचा कुछ राज्यों का बिगड़ गया । कुछ क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ गया । और जो राष्ट्रीय योजनाएं थी उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ और इस कारण राज्यों में असंतोष पैदा हुआ । प्रशासनिक ढांचा और प्रशासन की पकड़ कमजोर हो गयी आज बिहार को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए । उत्तर प्रदेश में इस समय 63 राजस्व जनपद हैं । वहां के मुख्य मन्त्री चाहे कोई भी हो वह जिलों के कलेक्टरों का नाम नहीं बता सकता । पुलिस कप्तानों का नाम नहीं बता सकता, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का नाम नहीं बता सकता और तो क्या शक्ल से भी पहचान नहीं सकता । जिस मुख्य मंत्री को, जिस मंत्री को अपने प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों का नाम और शक्ल याद नहीं है तो प्रशासन पर उसकी क्या पकड़ होगी । इसी तरह के प्रशासन की ढीली पकड़ हो गई ।

मान्यवर, मैं लम्बी बात न कह कर यहां पर उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल के बारे में कहना चाहता हूं । मुझे नाम से कोई परहेज नहीं है । उत्तरांचल कहिये, पर्वतीय प्रदेश कहिये, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । क्षेत्र उसका कम कर दीजिए या बढ़ा दीजिए मुझे इसमें कोई एतराज नहीं लेकिन जो मूल हमारा उद्देश्य है उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है । आज उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है ? प्रशासनिक पकड़ आज किसी शासक की नहीं रही । क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ गया । राष्ट्रीय योजनाएं कार्यान्वित नहीं हुई । जब मेरे से पूर्व वक्ता भाषण दे रहे थे तो नैनीताल जिले की बात कह रहे थे । नैनी ताल का तराई इलाका, काशीपुर, हलद्वानी, किच्छा, खटीमा और रुद्रपुर क्षेत्र हैं । इसमें थोड़े से उद्योग लगे थे लेकिन इस पर भी एक-आध समाज का ही प्रभुत्व रहा है । यह कांग्रेस के लोगों की देन है कि विशेष वर्ग के लोगों को जो बाहरी मूलों से आये थे इस क्षेत्र में उन्होंने आबाद किया । सारी जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया । जंगलात की जमीन पर कब्जा कर लिया । वहां के जो थरू सम्प्रदाय के लोग हैं उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया । आज अगर आतंकवादी को सबसे ज्यादा आश्रय कहीं मिल रहा है तो इसी क्षेत्र में मिल रहा है आज इसकी दुहाई दे रहे हैं । अभी कमला जी कह रही थी कि पर्वतों पर इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती । पहाड़ों पर तो वैसे भी बड़ी इंडस्ट्री मुश्किल है लेकिन फिर भी रानीखेत में एच. एम.टी. का कारखाना लगा हुआ है । हलद्वानी में एच.एम.टी. का कारखाना लगा हुआ है ।

भीमताल में अपट्रान टी.वी. का कारखाना लगा हुआ है, लेकिन कोई अन्य खेती संबंधी कारखाना वहां पर नहीं है । वहां पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लग सकती हैं मगर वहां पर एग्रीकल्चर और एनीमल हजबेन्डरी का विकास नहीं हुआ है । वहां आलू बहुत अच्छा हो सकता है आप जानते है कि पहाड़ी आलू काफी टेस्टी होता है लेकिन वहां पर पानी नहीं है, खाद नहीं है । वहां पर खाने की चीजें मैदानों से जाती है । वहां पर खाद्य-पदार्थ भी नहीं है क्योंकि पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । सब्जियां पानी न होने के कारण पैदा नहीं होती है । एग्रीकल्चर और एनीमल हजबेन्डरी को बढ़ावा

नहीं दिया गया। कोई कुटीर उद्योग भी वहां पर नहीं है। इस कारण वह सारा क्षेत्र अविकसित रह गया और अविकसित रहने के कारण क्षेत्रीय संतुलन भी बिगड़ गया। इसलिए बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश बंटवारे की मांग चलती आ रही है। कई बार बृहत्तर हरियाणा की मांग उठी। उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों को शामिल कर लिया जाए। इसी प्रकार से जब बृहत्तर दिल्ली की मांग उठी तो उसमें भी यह आया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को शामिल कर लिया जाय। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग राज्य बने, इसकी मांग भी 1953 से चली आ रही है। एक बृज प्रदेश बने, उसमें ये क्षेत्र शामिल कर लिये जायें, यह मांग 1955 से चली आ रही है और पहाड़ी इलाके भी उसमें शामिल कर लिये जायें। यह बात कही जाती रही है।

यह जो पृथक राज्य की मांग है, यह कोई आज की मांग नहीं है। हर शासन काल में यह मांग हुई है। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि भाषा के नाम पर पृथक राज्यों की मांग ने सबसे ज्यादा जोर उस समय से पकड़ा है जब 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और नई और पुरानी कांग्रेसें बनीं। ये लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। यह मांग कोई नई मांग नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल के पृथक राज्य की मांग और वनांचल राज्य की मांग का जहां तक संबंध है, आर्थिक दृष्टि से ये दोनों कमजोर क्षेत्र हैं। यहां पर जो राष्ट्रीय योजनाएं बनीं उनका कार्यान्वयन नहीं हुआ। यहां पर फल-फूल विकसित हो सकते थे। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्र के भविष्य को अंधकारमय बना दिया। अगर टैहरी डेम बन जाता तो यह सारा इलाका सरसब्ज हो जाता। उस क्षेत्र को पानी मिलता, बिजली मिलती और वह दूसरे राज्यों को भी बिजली देता। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इसको खटाई में डाल दिया। इसलिए इस क्षेत्र का अलग राज्य बनाना अनिवार्य है।

जब कोई पृथक राज्य बनाया जाता है तो यह देखा जाता है कि नये राज्य के गठन से देश की एकता और देश की शांति को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जिन राज्यों का ये जिक्र कर रहे हैं, उन उत्तर पूर्वी राज्य में तो बड़ी तादाद में बंगलादेश और इंफिलटेटर्स आ रहे हैं और स्मगलर्स भी आ रहे हैं। वहां पर बड़ी तादाद में क्रिश्चियन मिशनरीज धर्म परिवर्तन का काम कर रही हैं। इससे देश की एकता को खतरा है। लेकिन इन क्षेत्रों में तो न तो कहीं से इंफिलटेटर्स का खतरा है और न ही मिशनरीज का खतरा है। यहां पर देश की एकता और सुरक्षा को भी कोई खतरा नहीं है। यह भी देखना होता है कि अगर किसी राज्य से कोई हिस्सा अलग कर दिया जाय तो जो हिस्सा बच जाता है उसकी अर्थ व्यवस्था पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार का कुप्रभाव उत्तर प्रदेश पर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि कोई चीज इन क्षेत्रों में नहीं पैदा होती है जो दूसरों के विकास में बाधक हो। इसलिए इन दोनों कंसीडरेशन्स और अन्य चार कंसीडरेशन्स और तथ्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह इसलिए भी लिया है कि हमने अपने घोषणा-पत्र में इसका जिक्र किया था। वहां पर हम 19 में से 15 एसेम्बली की और 4 लोक सभा की सीटों पर सफलता मिली है। वहां का सारा जन साधारण इस आधार पर हमारे साथ है।

इस दृष्टिकोण से भी यह उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव औचित्यपूर्ण है, व्यावहारिक है, वैधानिक है। जहां तक वनांचल का सवाल है, मुझे नाम से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मान्यवर, हरिजन शब्द असंवैधानिक है। संवैधानिक शब्द अनुसूचित जाति और जन-जाति है। लेकिन आपने लोगों को रटा दिया हरिजन। यहां भी पढ़े लिखे सदस्य हरिजन कहते हैं, सांसद हरिजन कहते हैं। शब्द को

[श्री संघ प्रिय गौतम]

प्रचार करो तो उसको लोग कहने लगते हैं। जहां वे आज झारखंड कह रहे हैं वहां अगर वनांचल रटा दो तो वनांचल कहने लगेंगे। यह कोई बात नहीं है कि वनांचल को लोग समझते नहीं है। जो वन वाला क्षेत्र हो वह वनांचल। यह तो आपके समझाने पर निर्भर करता है। आप हरिजन रटा रहे हैं तो लोग हरिजन कह रहे हैं जब कि कहना चाहिये अनुसूचित जाति। लेकिन मान्यवर, यह सही है कि इतने लंबे समय से उस क्षेत्र की उपेक्षा हुई है और आज तक कोई भी उसकी बात मानने या सुनने के लिये तैयार नहीं है। अगर नहीं है तो आखिर वे करेंगे क्या? फिर क्या जैसे और लोग जिस तरह से हिंसा का सहारा लेते हैं वह रास्ता वे अख्तियार करें।

मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि क्या बंगाल राजी होगा कि उसका हिस्सा मिला दिया जाए झारखंड को अलग राज्य बना दिया जाय? क्या इसके लिये उड़ीसा राजी होगा? मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे स्थान है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो अलग राज्य बना सकती है। इससे उनकी मांगों की पूर्ति हो सकती है और उनका विकास हो सकता है।

एक प्रश्न और पैदा होता है कि अगर छोटे राज्य हों तो उनका आर्थिक स्रोत क्या होगा? इससे वित्तीय संकट आ सकता है। यह हमारे पढ़े लिखे प्रिंसिपल साहब पांडे जी ने नहीं बताया पता नहीं वे कैसे प्रिंसिपल बन गये। उन्हें इस चीज का ध्यान नहीं कि वित्तीय संकट खड़ा हो सकता है, तो लेकिन आवश्यकता अविष्कार की जननी होती है। इसलिये वित्तीय संकट दूर हो सकता है, जब वे अपने पैरों पर खड़े होंगे तो अपना रास्ता खुद टटोलेंगे। आज जो लोग उत्तरांचल में टिहरी डैम का विरोध कर रहे हैं, कल अगर उत्तरांचल को अलग राज्य बना दिया जाय तो वही लोग टिहरी डैम की मांग करेंगे और फिर वे वहां पर अपने पैरों पर खड़े होंगे और अपना रास्ता खुद निकालेंगे। फिर वित्तीय संकट रहेगा नहीं।

मान्यवर, इसलिये नहीं कि सुषमा स्वराज जी हमारी पार्टी की सदस्या है, बल्कि वह इस सदन की माननीय सदस्या है और उन्होंने जो यह प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया है, इसका मैं इस सदन का सदस्य होने के नाते और इन क्षेत्रों की वैधानिक, औचित्यपूर्ण, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषायी वहां की जो उपेक्षा हुई है उसके आधार पर इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यावाद।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प का, जिसके माध्यम से उन्होंने उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल नामक एक पृथक राज्य की मांग की है, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

महोदय, इस देश को आजाद होने से पहले हमने देखा है कि किस तरह से हमारा देश राजा-रजवाड़े बड़े-बड़े सामंत और जमींदारों में बंटा हुआ था तथा किले से बाहर निकलने पर ही दूसरा समाज शुरू हो जाता था। अब आजकल टी वी प्रोग्राम में चाणक्य देख रहे हैं। चाणक्य को यवनों के विरुद्ध भारतीय समाज को इकट्ठा करने के लिये कितना अधिक परिश्रम करना पड़ा। उसके पिछे क्या राज है? क्योंकि भारत माता की भूमि पर रहने वाला हर निवासी भारतवासी है और भारत मां का पुत्र है पर जब वह किसी राजा-रजवाड़े के साथ जुड़ गया तो उस राजसत्ता का गुलाम हो गया था, उस राजसत्ता का नागरिक हो गया था, उसकी नागरिकता पृथक हो गई थी, भारत माता से उसने अपना नाता अलग कर लिया था। यवनों के विरुद्ध उन्होंने अथक परिश्रम कर के भारतीय समाज को इकट्ठा किया था। इतिहास पढ़े तो हम जान सकेंगे और उसके बाद कालांतर के साथ साथ जो लोग इस मुल्क पर राज करने आए किसी ने इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश की और किसी ने उसको जोड़ने की कोशिश की। अगर जोड़ने की कोशिश की तो उसके

पीछे मकसद यह था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ठीक रहे और तोड़ने की कोशिश इसलिये की कि कहीं हमारे खिलाफ बगावत न हो जाए । हमारा मुल्क आजाद हुआ । आजाद होने के बाद हमारे पूर्व पुरुषों ने किस तरह से देश को एक अखण्ड भारत के रूप में खड़ा करने के लिये अथक परिश्रम किया समय समय पर कमीशन बने और उन कमीशंस की रिकमेंडेशंस पर हमारी स्टेटस बनी और आज वह स्टेटस चल रहीं है । मुझे अफसोस है कि आज तक यह आवाज क्षेत्रीय पार्टियों के मुंह से निकलती थी, उनकी जबान से निकलती थी, रीजनल पार्टियां यह आवाज उठाती थीं । पर आज यह आवाज एक ऐसी पार्टी की जबान से निकल रही है जो अपने आप को एक राष्ट्रीय पार्टी कहती है । उस पार्टी . . . (व्यवधान)

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh) : No regional party made any demand to make a State out of another State. Mr. Ahluwalia may not know the history. The States Reorganization Commission reorganized entire India on the linguistic basis. Since the Hindi-speaking happened to be a big area and Hindi-speaking people were divided into separate States like Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and other places, because of un-viability in view of administrative unvia-bility and financial unviability there must be some demand from the Hindi-speaking people for separate States. His calling princely States as linguistic States is utterly nonsensical and it smacks of separatism instead of fostering unity and integrity of the country.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने तो तेलुगु देशम का नाम नहीं लिया पता नहीं (व्यवधान)

SHRI MENTAY PADMANABHAM : No regional party in this country demanded a State from a State already formed on linguistic basis,

प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर (बिहार) : आप भारत देशम को बिलांग करते हैं या तेलुगु देशम को ।

SHRI MENTAY PADMANABHAM : Bharat Desam is a different political party.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : पता नहीं इनकी दाढ़ी में तिनका है (व्यवधान)

SHRI MENTAY PADMANABHAM : I am not talking of Telugu Desam. I am only speaking about ....

SHRI S. S. AHLUWALIA : When you speak, you speak.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : I am only saying that no regional party had made any demand to carve out a separate State.

SHRI S. S. AHLUWALIA : You cannot speak on behalf of all the regional parties. 1 have got proof.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : You tell me about one regional party.

SHRI S. S. AHLUWALIA : When your turn comes, you speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Probably he is asking you to stick to the Resoultion.

SHRI S. S., AHLUWALIA : When he speaks, he will make his point. There is no problem.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : The Resolution is to carve out some States, smaller States, out 6f U.P. and Bihar.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANN All MASODKAR) : She has made it clear.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : It is better if he restricts himself to the scope of the Resolution. This is opening Pandora's box.. There are regional aspira tions in almost all the States. If you go on talking about

SHRI S. S. AHLUWALIA : If you entertain these two demands, are you not opening a Pandora's box ? Are you not?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : You better confine yourself to the Resolution.

SHRI S. S. AHLUWALIA : I am con-Fining myself to the Resolution. I have not mentioned your name.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : You are mentioning about the Reigonal Parties. That is wrong. No Regional Party made such a demand. That is what I would like to point out.

SHRI S. S. AHLUWALIA : I know, there are some Regional Parties that have made such demands.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : Give the example. Which Regional Party made such a demand ?

* SHRI S. S. AHLUWALIA : I am speaking with full authority. *(Interruptions).*

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब प्राइवेट रिजोल्यूशन होता है और भाषण होता है तो जिसको जो अपने विचार व्यक्त करने हैं वह कर सकता है . . .

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : काफी छूट नहीं है . . . **(व्यवधान)**

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मगर उनके भाषण में अगर दूसरे भाषण होंगे तो उसमें कोई सीमा नहीं होगी ।

श्री राम अवधेश सिंह : . . . **(व्यवधान)**

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : जब मैं बोल रहा हूं तो आप क्यों बोल रहे हैं . . . **(व्यवधान)**

I am addressing the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) ; Ram Awadheshji, he was on a point of order. I must listen to him.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . . **(व्यवधान)**

वे अपना बोलें । दूसरे उनको डिस्टर्ब न करें अपने समय में सब लोग अपने विचार रख सकते हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : यह प्वाइंट आफ आर्डर कहां है ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मेरे पांच मिनट खराब किये हैं । मुझे पांच मिनट और दें । अब साढ़े पांच बजे तक यह चलना चाहिए ।

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Mr. Vice-Chairman, Sir, on a point of order. The total time allotted to the Private Members' Resolutions is two and a half hours, to the minute, should be devoted in fairness to the institution of Private Members' Resolution, exactly the same hours, to the minute, should be devoted for an effective discussion of the Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : It will be.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : So, it should not be 5.00 but 5.05. It should be a total of two and a half hours.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : It will be 5.05. I am told that it has already been decided to give 5 minutes extra.

SHRI S. S. AHLUWALIA : Five minutes were taken at that time.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: On the same criterion used for extending it by 5 minutes, if it is consistently followed through, then another 25 minutes should be added. That is my submission.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : I don't think so, Mr. Ahluwalia, please continue,

SHRI MENTAY PADMANABHAM : I would like to know whether the Railway Minister is going to make a statement or not.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Yes. it will be after the Private Member's Resolution.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : Mr. Padmanabliam has taken 15 minutes of Mr. Ahluwalia's time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MAS0DKAR) : Now, you don't take any time. Mr. Ahluwalia, please continue.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : हमने आपसे क्वोट्स नहीं बनाये । आप बोलें खानी ?

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व पुरूषों ने किस तरह से अथक परिश्रम करके इस देश को एक अखंड भारत के रूप में परिणित किया उस अखंड भारत को खंड-खंड करने के लिए बहुत सारे दल उभरे, बहुत सारे दलों ने कहीं पर मजहब के नाम पर, कहीं पर कौम के नाम पर, कहीं पर जाति के नाम पर कहीं पर क्षेत्र के नाम पर अपनी आवाजें बुलंद की। मुझे याद आती है एक घटना । बंगाल और त्रिपुरा में एक पार्टी बनी, आमरा बंगाली पार्टी । आमरा बंगाली पार्टी की एक अलग ही चिंतनधारा थी कि वे सिर्फ बंगालियों के लिए ही बंगाल बनाना चाहते थे। एक परिकल्पना बनी मंगोलायड रीजन की, प्राचीन प्लान की । प्राचीन प्लान हमारे भारत से नहीं बर्मा की चिन्दविन वैली से शुरु होकर चिटगांव हिल ट्रैक्ट तक जाता था और उन्होंने एक सपना संजोया था नार्थ ईस्ट लोगों के दिमाग में कि चिन्दविन वैली से लेकर चिटगांव हिल ट्रैक्ट तक हम एक मंगोलायड रीजन बनाएंगे । उसका मूल कारण क्या था । वे कहते थे कि हम लोग मंगोल जाति के हैं । इसलिए हम लोग मंगोलियन रीजन बनाएंगे । आ जाएं आप महाराष्ट्र में । शिव सेना ने एक नयी कल्पना कर दी । वह कल्पना तो अभिभूत है । कल्पना तो इतनी सोचने की है ... ।

पदनाभम जी कह रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टी-क्षेत्रीय पार्टी वह भी है एक शिव सेना और उसने मुंबई से और महाराष्ट्र से गांधी की मूर्तियों को हटा कर नाथूराम गोडसे की मूर्तियां स्थापित करने की बात की ।

अभी पिछले कुछ दिन पहले इस सदन में बड़ी गर्म चर्चा हुई जबकि बाल ठाकरे ने कहा कि खालिस्तान अगर पंजाब वाले मांगते हैं, तो खालिस्तान दे दो क्योंकि उन्हें मराठीस्तान चाहिए और उन्होंने कहा कि उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आदमी जो सिख है, पगड़ी बांध कर या सिर पर बाल रख करके या केस, कंघा या कड़ा रख कर नहीं रह सकता । यह हमारा दुर्भाग्य है ।

हमारे पूर्व पुरूषों ने, स्वतंत्रा सेनानियों ने आज हमारे अखंड भारत के खंड-खंड करने के लिए कुर्बानियां नहीं दी थीं, उन्होंने बड़े एक अखंड भारत की कल्पना की थी। उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि भारत के सपूत, भारत माता, के पुत्र एक दिन अपने आपको बंगाली, पंजाबी मराठी, गुजराती, तमिल और मलयाली, कन्नड़, उड़िया या असमिया कह कर अपने आपको बांटेंगे । उन्होंने कल्पना की थी कि एक ऐसे अखंड भारत की, जिस भारत में कन्या कुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से कोहिमा तक सिर्फ एक ही जाति रहेगी और एक मजहब रहेगा, जिसका नाम होगा भारतीयता, जिसका नाम होगा भारतवासी । आज की कल्पना में जो टुकड़े करना है, उन सपनों को तोड़ने की जो कोशिश चलती है, कभी यह क्षेत्रीयतावाद के नाम पर आवाज उठती है कि वहां पर इकनामि डिवलेपमेंट नहीं हुआ, वहां कल-कारखाने नहीं बने या वहां पर उन्नति नहीं हुई तो उसके पीछे बहुत सारे कारण है ।

मैं बिहारवासी हूं, मैं जानता हूं कि हमारे जो वनांचल का नाम ले रहे हैं और जो झारखंड का जो हमारा कनसैप्ट है, वह झारखंड का जो

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

नक्शा है, कभी वनांचल की मांग करने वाले लोगों ने झारखंड का नक्शा देखा है। वह झारखंड का नक्शा देख, जो झारखंड का नक्शा मध्य प्रदेश बिहार, बंगाल और उड़ीसा को लेकर बना हुआ है और वहां के जितने भी आपके इलाके हैं, जितना भी एरिया उन्होंने कवर किया है, अपना नक्शा रिलीज किया है, उसको देखें।

वहां पर मिनरल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है और वह मिनरल रिसोर्सेज अगर वहां से बंद कर दिये जायें, तो राज्य या देश को क्या क्षति पहुंचेगी, इसका अहसास लगाना मुश्किल है।

फ्रांस ने विप्लव को जन्म दिया था। रेवोल्यूशन का वर्ड डिक्शनरी में फ्रांस ने ऐड किया था उस फ्रांस के एक बड़े फिलासफर ने कहा है कि किसी देश को अगर बिना किसी लड़ाई के, बिना युद्ध के तुम गुलाम बनाना चाहते हो, तो सब से पहले यह काम करो कि वहां की शिक्षा नीति को खत्म कर दो।

दूसरा काम यह करो कि वहां की राष्ट्रीय आय को खत्म कर दो यह दोनों चीजें खत्म हो जाने पर वह देश खुद का खुद गुलाम हो जाएगा।

यही चक्रांत, यही षड्यंत्र हमारे देश को गुलाम करने का है। यह जो जितने भी रिसोर्स-फुल इलाके हमारे कंट्री के हैं, इनमें गड़बड़ पैदा की जा रही है और गड़बड़ी पैदा करने के पीछे आज तक क्षेत्रीयवाद में विश्वास करने वाले लोग थे, पर आज वैसे लोग भी जुट गये हैं, जो विदेशी ताकतों से पैसा लेकर किसी तरह से हमें बांट देना चाहते हैं, हमारे टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहते हैं। हम भारतवासी हैं, भारत की भूमी पर ज्वाइंट फैमिली का जो कनसैप्ट था . . . **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह : उपसभाध्यक्ष जी हमको भी पांच दस मिनट दें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपके बोलने पर मुझे आपत्ति नहीं है। पांच बज कर पांच मिनट हो रहे हैं और पांच बज कर पांच मिनट तक इस प्रस्ताव का समय है।

मेरा सिर्फ आपसे यह अनुरोध है कि रूल्स आफ प्रोसिजर के अनुसार अगर एक मत चलता रहता है तो वह रेजोल्यूशन दुबारा भी आता है, लेकिन अगर सत्रावसान हो जाता है, तो वह, रेजोल्यूशन लैप्स हो जाता है। इसकी यही स्थिति होने वाली है क्योंकि अगला जो फाइडे है, वह बिल के लिए होगा। मेरी आपसे यह गुजारिश है कि गृह मंत्री जी ने इच्छा भी व्यक्त की थी . . . **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : ना-ना।

श्रीमती सुषमा स्वराज : 5 मिनट अगर . . .

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आज से वहां से जवाब देंगे। पहले भाषण खत्म होने दें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरा सिर्फ आप से . . . **(व्यवधान)** मुझे बात तो करने दीजिए। उपसभाध्यक्ष जी, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि सरकार इस पर अपना मंतव्य प्रकट कर दे कि वह कहना क्या चाहती है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : कैसे कर दें, क्यों करे . . . **(व्यवधान)** पूछेगी हमको तब मंतव्य देगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : 5 मिनट मंत्री जी को जरूर दे दें। . . . **(व्यवधान)**

श्री राम लाल राही : उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार अपना मंतव्य व्यक्त करेगी इसमें दो राय नहीं है। . . . **(व्यवधान)**

श्री रामअवधेश सिंह : सोच-समझ कर करे।

श्री राम लाल राही : बिल्कुल सोच-समझ कर ही सरकार कोई बात करती है। लेकिन मेरा आग्रह है आपके माध्यम से माननीय सदस्या जी से

कि वह देख रही है कि सम्मानित सदन के सदस्य चाहते हैं कि अधिक से अधिक वे इसमें पार्टिसिपेट करें, हिस्सेदारी करें, अपनी बात कहें और अपना पक्ष रखें, इसलिए कहने का मौका सब को दें। सब के विचार आ जाएं, सभी दलों की तरफ से जो बोलना चाहते हैं उनकी तरफ से, उसके बाद सरकार अपना वक्तव्य देगी ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : वह तो समय कभी आएगा ही नहीं । वह तो लैप्स हो जाएगा । . . . **(व्यवधान)**

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : Mr. Vice-Chairman, Sir, 1 am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : What is the point of order ? There is no point of order '.'

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : Sir, the hon. Member, Shrimati Sushma Swaraj, is insisting that the Minister should speak before he has heard the Members. Is it not an infringement of the right of Members to express their views ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : I do not think ___

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : 1 am not cutting the right of anybody.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : How can she force the Government to respond . . . *(Interruptions).*

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ . He gave me the choice. *(Interruptions).*

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : There can be alternative, different, phases of the issue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : The Minister can intervene when the debate is going on.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : But she is saying he should reply.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : The Minister is there. He can always intervene.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : 1 thank the Minister for saying that he would like to hear us before he responds.

श्री संघ प्रिय गौतम : मंत्री जी की भावनाओं की हम कद्र करते हैं । मंत्री जी अपनी बात कहें ।

श्री राम नरेश यादव : (उत्तर प्रदेश) : कैसे पहले कह दें । . . . **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस भारत की कल्पना हमारे पूर्व पुरुषों ने की थी उसी की कल्पना हमारे वर्तमान लोगों ने भी की हुई है । आपने देखा कि अखंड भारत की रक्षा करते-करते **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Mr. Ahluwalia, can you give five minutes to Mr. Ram Awadhesh Singh ?

श्री विठ्ठलराव माधवराव आध्व : हम भी बोलने वाले हैं । . . . **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : नहीं, वह आपको रेकवेस्ट कर रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : पर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मैं बोलूं कैसे ?

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : आपसे रेकवेस्ट कर रहे हैं । . . . **(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पाण्डेय : आज भी बोले, उस दिन भी बोले . . . **(व्यवधान)**

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) मैं भी बोलने वालों में हूं । . . . **(व्यवधान)**

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : Mr. Vice-Chairmha, Sir, at this stage, you should take the sense of the House whether the time should be extended beyond 5 p.m. or not.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : No.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : You should take the sense of the House. Up to 5.30 p.m. it should be discussed. It is such an important issue. *(Interruptions).*

SHRI RAM AWADHESH SINGH : Sir, it is a serious issue before the nation. Time should be extended. One hour more.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : Sir; can it not be carried over to the next Session? *(Interruptions).*

SHRI RAM AWADHESH SINGH : I propose that time should be extended.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : There cannot be. I cannot accept. It cannot be done. *(Interruptions).* Time-limit cannot be extended.

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आंध्र प्रदेश) : 5.30 बजे तक आप चलाइये ।

श्री राम अवधेश सिंह : बिहार के बंटवारे का सवाल है । कोई मामूली है ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : इसलिए तो बोल रहे हैं। बिहार का बंटवारा कैसे होना चाहिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : इसलिए टाइम एक्सटेंड करें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Mr. Ram Awadhesh Singh, he is not yielding.

SHRI S. S. AHLUWALIA : What is this, Sir?

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ । . . . **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह : 5 मिनट हमको दो . . . **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : राम अवधेश जी बोलने दीजिए

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह देश आजाद हुआ और देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे के साथ-साथ नाथू राम गोडसे, जिनका एक ही सपना था कि भारत राष्ट्र नहीं, हिन्दु राष्ट्र की कल्पना की थी उनकी गोली के द्वारा निहत्थ हुए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी । 5.00 P.M.

उसके बाद 1984 में देखा, जिनकी कल्पना थी कि इस अखण्ड भारत को तोड़कर खालिस्तान बनाएं उन्होंने हत्या की इन्दिरा गांधी की । उसके बाद अपनी आंखों से देखा, अखण्ड भारत को तोड़कर एक तमिल देश की कल्पना करने वाले लोगों ने किस तरह राजीव गांधी की नृशंस हत्या की ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी दृढ़ प्रतिज्ञ है और इस देश में वचनबद्ध है कि भारत माता को अखण्ड भारत के रूप में रखेगी और अन्त तक देखेगी कि यह अखण्ड भारत को कोई खण्ड-खण्ड न कर सके । . . . **(व्यवधान)** अरे, यह काली टोपी वालों को भूल गए । वे आपके ही थे । आपने टोपी उतार दी, टोपी बाहर रख दी, अंदर आ गए । . . . **(व्यवधान)**

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : मैं अखण्ड भारत की बात कर रहा हूं, काली टोपी की नहीं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : अग्रवाल जी, बोलने दीजिए ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज कल्पना करने वाले कौन

हैं ऐसे-ऐसे राज्यों की ? कभी इन्होंने सोचा है जिस राज्य को आज बांट रहे है, वह पहले ही बंटा हुआ है, बिहार राज्य देश का सबसे गरीब राज्य है, उस गरीब राज्य को और गरीब बना देना चाहती है ? एक गरीब के घर में दीवार खड़ी करके पार्टिशन करवाना चाहती हैं ? जिस हंडिया पर दो रोटियां बनती है और दो जन बांट कर खा लेते हैं, उसे छीन लेना चाहती है ? . . . (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमें ऐसे संकल्पों को लाने से पहले इस सदन में एक ऐसा संकल्प लाना जरूरी है कि हमने जो अपना अस्तित्व बना लिया है कि मैं पंजाबी हूं, मैं बंगाली हूं, मैं मराठी हूं, मैं हरियाणवी हूं या कोई तमिलियन है या कन्नाड़ी है या असमिया है या कोई नागालैंड का है, इसके लिये ऐसा संकल्प लाने की जरूरत है कि हम सब भारतवासी है । यह कहना एकदम बंद कर दो कि गर्व से कहो मैं हिन्दु हूं या गर्व से कहो मैं सिख हूं या गर्व से कहो मैं मुस्लिम हूं या ईसाई हूं । लोग कहते हैं, गर्व से कहो मैं मराठी हूं । तो शर्म आनी चाहिए, जिस मां के आंचल का दूध पी कर बड़े हुए, उस मां को कितनी बड़ी गाली निकालते हो, जिस वक्त तुम कहते हो कि हे मां, मेरी भारत मां तू मेरी मां नहीं, मराठवाड़ा मेरी मां है या मराठी मेरी मां है . . . (**व्यवधान**) . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : मराठवाड़ा क्या बोल रहे हैं ? . . . (**व्यवधान**) . . . जाधव जी आपके सामने बैठे है ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह आज पूर्वांचल और उत्तरांचल की बात करते हैं । यह आवाज उत्तराखंड और झारखंड से उठी थी । यह कामतापुर की आवाज, यह मंगोलोइट रीजन की आवाज, इनको अगर स्तब्ध करना है, इनको रोकना है तो ऐसे संकल्पों को इस सदन में पारित करने की कोई जरूरत नहीं है । मैं समझता हूं, सुषमा स्वराज जी को आराम से यह अपना संकल्प वापस ले लेना चाहिए अन्यथा यह रद्दी की टोकरी में जाने वाला है । इस मुल्क को मराठियों और बंगालियों के साथ वनांचलियों और उत्तरांचलियों के साथ नहीं जोड़ना है बल्कि उनको भी कम करके भारतवासियों की संख्या इस देश में बढ़ानी है । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह मराठी, बंगाली राज्य बनाए किसने ? किसने भाषायी राज्यों की कल्पना की थी । संविधान में भाषाओं के आधार पर राज्य बनाए किसने ? . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : भाषायी राज्यों की कल्पना की थी, लेकिन उनके मन में जहर किसने घोला ? . . . (**व्यवधान**) . . .

श्रीमती सुषमा स्वराज : आज आप अलगाववाद की बात करते हैं । क्या यह प्रस्ताव अलगाववादी है ? आप खालिस्तान के साथ इसको जोड़ रहे हैं । यह प्रासंगिक नहीं है । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आपने शुरुआत की उस भाषण की, जो आपकी पार्टी ने पंजाब और हरियाणा को दिया था । पंजाब हरियाणा का बंटवारा कराया किसने ? वे कौन थे ? किसने आवाज उठाई थी ? पटवारी जब गांव-गांव जाता था तो यह कहते थे मेरी मातृभाषा . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री रामदास अग्रवाल : मणिपुर, नागालैंड छोटे-छोटे राज्य आपने बना दिया और अखण्ड भारत की बात आप करते हो ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : एक पूर्वोत्तर में सात राज्य खड़े कर दिए । . . . (**व्यवधान**) . . . आप खालिस्तान के साथ इसकी तुलना करते हैं ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : तो मैं खालिस्तान की बात कर रहा था . . . (**व्यवधान**) . . .

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप खालिस्तान की बात करके गुमराह करते हैं सदन को । आप खालिस्तान के साथ तुलना करते हैं इसकी ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह वह दल है . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : You please conclude.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : जिसने पंजाब का बंटवारा कराते वक्त अपने घर के लोगों को कहा कि पटवारी जिस वक्त भाषा के बारे में पूछने के लिए आए . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : The time is over, Mr. Ahluwalia.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : पटवारियों का रिकार्ड देखा जाए, उसमें पंजाबी में लिखा हुआ है . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Nothing will go on record . . . *(Interruptions)* . . . Private Members' business is over. Nothing is going on record . .. *(Interruptions)* . . .

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया*:

श्रीमती सुषमा स्वराज*:

श्रीमती सत्या बहिन*:

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : सत्या बहिन जी, आप बैठिए ।

Cool off, cool off . . . *(Interruptions)* .... One minute. The discussion on the Resolution remains inconclusive ... *(Interruptions)* ... It remains inconclusive. There is a message from the Lok Sabha.

*Not recorded.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Constitution (Seventy-sixth Amendment) Bill, 1992

SECRETARY-GENERAL : Sir, 1 have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha :

> "1 am directed to inform you that the Constitution (Seventy-sixth Amendment) Bill, 1992, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 29th April, 1992, has been passed by Lok Sabha at its sitling held on the 7th May, 1992, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution of India, with the following amendment :—
>
> *Clause* 1
>
> Page 1, line 3,—
>
> *for* "Seventy-first" *substitute* "Seventieth".
>
> 2. I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 121 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha with the request that the concurrence of Rajya Sabha in the said amendment be communicated to Lok Sabha."

Sir, I lay the Bill on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : There is a statement by the Minister for Railways.

[The Vice-Chairman (Shrimati Sushma Swaraj) in the Chair]

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh) : Madam, may I make a submission before he makes a statement ?

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : महोदया पहले स्पेशल मेंशन लीजिए । स्पेशल मेंशन पहले खत्म हो जाना चाहिए ।

AN HON. MEMBER : Special Mentions not today, on Monday.